लोक सभा में 28 फरवरी, 2003
को पुरःस्थापित रूप में

2003 का विधेयक संख्यांक 8

[दि फाइनेंस बिल, 2003 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2003

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2003 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 96 [धारा 85 के खंड (ख) के सिवाय], 1 अप्रैल, 2003 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

1961 का 43

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत आय-कर होगी :

परंतु अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटाकर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में, उस पैरा में उपबंधित रीति से प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत आय-कर होगी ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण उस अध्याय या उस धारा में उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, यथास्थिति, संघ के प्रयोजनों के लिए, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि धारा 113 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, उस वर्ष के, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी प्रारंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि किसी ऐसी आय की बाबत, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखख, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उक्त धारा में विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, कटौती पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौती उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के "दस प्रतिशत" की दर से, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और प्रत्येक दशा में उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां ऐसी संगृहीत राशि या संगृहीत कुल राशि और, ऐसे संग्रहण के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटा कर आए ऐसे कर में प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगाः

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत, पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के ढाई प्रतिशत की दर से ;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित,

यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर या "अग्रिम कर" में से रिबेट घटाकर, इस प्रकार प्राप्त आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में, प्रत्येक दशा में उसमें उपबंधित रीति में से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय की बाबत ऐसे विहित इंतजाम कर लिए हैं कि ऐसी आय में से संदेय लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश हैं) घोषणा और उनका संदाय भारत में किया जाए ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, नवीकरण या पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (24) के उपखंड (xii) में, "खंड (vii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (vक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में, उपखंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ज) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xiii) में निर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित स्टाक एक्सचेंज का व्यापार या समाशोधन अधिकार है, वहां वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का कोई सदस्य था ;

(जक) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xiii) में निर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी कंपनी में आबंटित साधारण शेयर है या शेयर हैं, वहां वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का कोई सदस्य था ।"।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2004 से रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 6 का संशोधन।

'(6) किसी व्यक्ति के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है" तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति,—

(क) ऐसा व्यष्टि है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस दिन या उससे कम की हो, भारत में न रहा हो ;

(ख) ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ पूर्ववर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस दिन या उससे कम हो, भारत में न रहा हो ।'।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में, विद्यमान स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— धारा 9 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि "कारबारी सम्पर्क" में कोई कारबार या क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसे अनिवासी की ओर से,—

(क) संविदाओं को अंतिम रूप देने का प्राधिकार है और भारत में अभ्यासतः अनिवासी की ओर से उसका प्रयोग करता है परंतु यह तब जबकि उसके क्रियाकलाप अनिवासी के लिए माल या वाणिज्या के क्रय तक सीमित नहीं है ; या

(ख) ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, किन्तु अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का भारत में अभ्यासतः स्टाक रखता है जिससे वह अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का नियमित रूप से परिदान करता है ; या

(ग) भारत में अभ्यासतः अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से, जो नियंत्रण करते हैं या उनके द्वारा नियंत्रित हैं या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो अनिवासी का है, मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से आदेश प्राप्त करता है :

परंतु यह कि ऐसे कारबारी संपर्क में किसी दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या किसी अन्य अभिकर्ता के द्वारा, जिसकी कोई स्वतंत्र प्रास्थिति है, किया जाने वाला कोई कारबारी क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं होगा यदि ऐसा दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या कोई अन्य अभिकर्ता, जिसकी कोई स्वतंत्र प्रास्थिति है, उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में कार्य कर रहा है ।

स्पष्टीकरण 3—पूर्वगामी परंतुक के प्रयोजनों के लिए, किसी दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या किसी अन्य अभिकर्ता को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् कमीशन अभिकर्ता कहा गया है), स्वतंत्र प्रास्थिति का समझा जाएगा, जहां ऐसा कमीशन अभिकर्ता अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों के लिए, जो नियंत्रण कर रहे हैं या जिनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो उस अनिवासी का है, मुख्य रूप से या संपूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है ।'।

धारा 10 का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) खंड (6ग) में, "फीस के रूप में" शब्दों के स्थान पर, "स्वामिस्व या फीस के रूप में" शब्द, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे;

(ख) खंड (10ग) में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(i) आरंभिक भाग में, "के किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में, स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार प्राप्त कोई रकम" शब्दों के स्थान पर, "के किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में, स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार प्राप्त या प्राप्त किए जा सकने वाली कोई रकम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय" शब्दों के स्थान पर, "अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (10घ) के स्थान पर, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2004 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(10घ) जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी है, जो,—

(क) धारा 80घघ की उपधारा (3) या धारा 80घघक की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त किसी राशि से ; या

(ख) किसी प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि से ; या

(ग) किसी बीमा पालिसी, जिसके लिए पालिसी की अवधि के दौरान किसी वर्ष में संदत्त प्रीमियम, वास्तविक बीमा पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक है, के अधीन प्राप्त किसी राशि से,

भिन्न है :

परंतु इस उपखंड के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त की गई किसी राशि को लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और कि इस उपखंड के अधीन वास्तविक बीमा पूंजी राशि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, धारा 88 की उपधारा (2क) के स्पष्टीकरण को प्रभाव दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी" से किसी व्यक्ति द्वारा, किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के संबंध में, जो प्रथम वर्णित व्यक्ति का कर्मचारी है या था या प्रथम वर्णित व्यक्ति के कारबार से किसी भी रीति से संबंधित है या था, ली गई कोई जीवन बीमा पालिसी अभिप्रेत है ।' ;

(घ) खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (छ) में, "केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उधार करार" शब्दों के स्थान पर, "1 जून, 2003 से पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उधार करार" शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(ङ) खंड (23खखघ) में, "1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत तीन पूर्ववर्षों के लिए" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले निर्धारणों वर्षों से सुसंगत सात पूर्ववर्षों के लिए" शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(च) खंड (23घ) में, आरंभिक भाग में, "पारस्परिक निधि की आय" शब्दों के स्थान पर, "अध्याय 12ङ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पारस्परिक निधि की आय" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(छ) खंड (23ङख) में, "लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास" शब्दों के स्थान पर, "लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ज) खंड (23चक) में, "लाभांशों" शब्द के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(झ) खंड (23छ) में,—

(i) "लाभांशों" शब्द के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट आवास परियोजना" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या किसी होटल परियोजना या किसी अस्पताल परियोजना" शब्द 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण 1 में,—

(अ) खंड (क) में, "किसी अवसंरचना सुविधा का" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "के कारबार में" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "इस खंड में निर्दिष्ट कारबार में" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) में, "किसी अवसंरचना सुविधा का" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "के कारबार में" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "इस खंड में निर्दिष्ट कारबार में" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे;

(इ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(छ) "होटल परियोजना" से केंद्रीय सरकार द्वारा वर्गीकृत किए गए कम से कम तीन-सितारा प्रवर्ग के किसी होटल के सन्निर्माण की कोई परियोजना अभिप्रेत है ;

(ज) "अस्पताल परियोजना" से रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले किसी अस्पताल के सन्निर्माण की कोई परियोजना अभिप्रेत है ।';

(ञ) खंड (26खख) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(26खखख) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के, जो भारत के नागरिक हैं, कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "भूतपूर्व सैनिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संविधान के प्रारंभ से पूर्व संघ के सशस्त्र बलों या भारतीय राज्यों के सशस्त्र बलों में (किन्तु असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा कोर, सामान्य आरक्षित इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना, जम्मू-कश्मीर मिलिशिया और राज्यक्षेत्रीय सेना को छोड़कर) किसी भी पंक्ति में, चाहे योधक या गैर-योधक रूप में, अनुप्रमाणन के पश्चात् छह मास से अन्यून की निरंतर अवधि के लिए सेवा की है और उसे कदाचार या अयोग्यता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के रूप से भिन्न किसी रूप में निर्मुक्त किया गया है और किसी मृत या असमर्थ भूतपूर्व सैनिक की दशा में जिसके अंतर्गत उसकी पत्नी, बच्चे, पिता, माता, अवयस्क भाई, विधवा पुत्री और विधवा बहन भी है, जो ऐसे भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु या असमर्थता से ठीक पूर्व उस पर पूरी तरह आश्रित थे;';

(ट) खंड (32) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2002 का 58

"(33) किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट यूनिट स्कीम 1964 की यूनिट है और जहां ऐसी आस्ति का अंतरण 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् होता है, उद्भूत कोई आय ;";

(ठ) इस प्रकार अंतःस्थापित खंड (33) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(34) धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांश ;

(35)(क) खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय ; या

(ख) प्रशासक से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय ; या

(ग) विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय,

के रूप में कोई आय :

परंतु यह खंड, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि के यूनिटों के अंतरण से उद्भूत किसी आय को लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

2002 का 58

(क) "प्रशासक" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है ।

2002 का 58

(ख) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(36) किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी के साधारण शेयर हैं और उन्हें 1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात् किंतु 1 मार्च, 2004 से पूर्व अर्जित किया गया है, उद्भूत कोई आय ।'।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10क में,— धारा 10क का संशोधन।

(क) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "इस धारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7क) जहां किसी भारतीय कंपनी के किसी उपक्रम को, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलियन की किसी स्कीम में किसी दूसरी भारतीय कंपनी को अंतरित किया जाता है वहां,—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलियन होता है, समामेलक या निर्विलिय कंपनी को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी ; और

(ख) इस धारा के उपबंध समामेलित या पारिणामी कंपनी को, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलिय कंपनी को लागू होते यदि समामेलन या निर्विलियन नहीं हुआ होता ।";

(घ) उपधारा (9) और उपधारा (9क) का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा ;

(ङ) स्पष्टीकरण 1 का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा ;

(च) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्माण या उत्पादन" के अंतर्गत बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पॉलिश करना भी है ।'।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 10ख का संशोधन।

(क) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7क) जहां किसी भारतीय कंपनी के किसी उपक्रम को, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलियन की किसी स्कीम में किसी दूसरी भारतीय कंपनी को अंतरित किया जाता है वहां,—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलियन होता है, समामेलक या निर्विलीत कंपनी को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी ; और

(ख) इस धारा के उपबंध समामेलित या पारिणामी कंपनी को, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलीत कंपनी को लागू होते यदि समामेलन या निर्विलियन नहीं हुआ होता ।";

(ख) उपधारा (9) और उपधारा (9क) का लोप किया जाएगा ;

(ग) स्पष्टीकरण 1 का लोप किया जाएगा ;

(घ) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्माण या उत्पादन" के अंतर्गत बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पॉलिश करना भी है ।'।

धारा 10ग का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 10ग की उपधारा (6) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी उपक्रम को 1 अप्रैल, 2004 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 11 का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3क) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि ऐसा न्यास या संस्था, जिसने उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में अपनी आय विनिहित या निक्षिप्त की है, विघटित हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी, उस वर्ष में, जिसमें ऐसा न्यास या संस्था विघटित हुई थी, उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसी आय के उपयोग को अनुज्ञात कर सकेगा ।"।

धारा 16 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 16 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2004 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जिसकी वेतन से आय इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व,—

(अ) पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वेतन के चालीस प्रतिशत के बराबर राशि या तीस हजार रुपए की राशि की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती ;

(आ) पांच लाख रुपए से अधिक है, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती ;"।

धारा 30 का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 30 में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपखंड (i) में निर्दिष्ट मरम्मत के खर्च की बाबत संदत्त रकम और खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चालू मरम्मत की बाबत संदत्त रकम, पूंजी व्यय के प्रकार के किसी व्यय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।"।

धारा 31 का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 31 के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि चालू मरम्मतों की बाबत संदत्त रकम में पूंजी व्यय की प्रकृति का कोई व्यय सम्मिलित नहीं होगा ।"।

धारा 33कख का संशोधन।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 33कख में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(क) पार्श्वशीर्ष में, "खाता" शब्द के पश्चात्, "और काफी विकास खाता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "चाय निक्षेप खाते" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "निक्षेप खाते" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में,—

(अ) "चाय उगाने और विनिर्मित करने" शब्दों के स्थान पर, "चाय या काफी उगाने और विनिर्मित करने" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "अपनी आय की विवरणी देने" के स्थान पर, "अपनी आय की विवरणी देने की सम्यक् तारीख" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, "चाय बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित" शब्दों के स्थान पर, "चाय बोर्ड या काफी बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों से आरंभ होने वाले और "कोई रकम जमा की है," शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, चाय बोर्ड या काफी बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निक्षेप स्कीम कहा गया है) अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धा रिती द्वारा खोले गए किसी खाते में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निक्षेप खाता कहा गया है) कोई रकम जमा की है, ";

(घ) उपधारा (4) में, आरंभिक भाग में "उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती निम्नलिखित के क्रय के लिए उपयोग की गई किसी रकम की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी, अ र्थात् :—" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने के कारबार में लगे निर्धारिती को, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती निम्नलिखित के क्रय के लिए उपयोग की गई किसी रकम की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी, अर्थात् :—" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(4क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां भारत में काफी उगाने और विनिर्माण करने के कारबार में लगे निर्धारिती के विशेष खाते और निक्षेप खाते में जमा कोई बकाया राशि, जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा किसी पूर्ववर्ष के दौरान जारी की जाती है या निक्षेप खाते से निर्धारिती द्वारा निकाली जाती है, और ऐसी राशि निम्नलिखित के क्रय के लिए उपयोग की जाती है,—

(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र, जिसे किसी कार्यालय के परिसर या निवास-स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि-गृह के प्रकार का कोई निवास-स्थान भी है, प्रतिष्ठापित किया जाना है ;

(ख) कोई कार्यालय साधित्र (जो संगणक नहीं है) ;

(ग) ऐसी मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत किसी पूर्ववर्ष में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है (चाहे यह अवक्षयण के रूप में हो या अन्यथा) ;

(घ) ऐसी नई मशीनरी या संयंत्र, जिसे ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में प्रतिष्ठापित किया जाना है,

वहां इस प्रकार उपयोग की गई संपूर्ण रकम को, उस पूर्ववर्ष के कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार वह, उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी ।';

(च) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

1942 का 7

'(क) "काफी बोर्ड" से काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 के अधीन स्थापित काफी बोर्ड अभिप्रेत है ;

1981 का 61

(कक) "राष्ट्रीय बैंक" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है ;'।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में,— धारा 36 का संशोधन।

(क) खंड (iii) में, स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु विद्यमान कारबार या वृत्ति के विस्तारण के संबंध में नई आस्ति (चाहे लेखा बहियों में पूंजीगत हो या नहीं) के अर्जन के लिए उधार ली गई पूंजी की बाबत उस तारीख से, जिसको आस्ति के अर्जन के लिए पूंजी उधार ली गई थी, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक की, जिसको ऐसी आस्ति पहली बार प्रयोग में लाई गई थी, किसी अवधि के लिए, संदत्त ब्याज कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।";

(ख) खंड (viiक) के उपखंड (क) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि इस उपखंड में निर्दिष्ट किसी अनुसूचित बैंक या किसी गैर अनुसूचित बैंक को, उसके विकल्प पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के अनुसरण में प्रतिभूतियों के मोचन से उत्पन्न आय से अनधिक रकम के लिए पूर्वगामी उपबंधों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक की और कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह भी कि तीसरे परंतुक के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की विवरणी में प्रकट न कर दी गई हो ;';

(ग) खंड (x) में, "धारा 10 के खंड (23ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित कोई विनिमय जोखिम प्रशासन निधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (xi) के नीचे स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(xii) कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है), जो किसी निगम या किसी निगमित निकाय द्वारा, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जो किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के द्वारा, उस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए गठित या स्थापित है, जिसके अधीन ऐसा निगम या निगमित निकाय गठित या स्थापित किया गया था, उपगत किया गया है ।"।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 40 का संशोधन।

(क) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(i) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसा कोई ब्याज (जो अप्रैल, 1938 के प्रथम दिन के पूर्व सार्वजनिक अभिदान के लिए पुरोधृत उधार पर ब्याज नहीं है), स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य राशि, जो,—

(अ) भारत के बाहर ; या

(आ) भारत में किसी ऐसे अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को,

संदेय है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् कर का संदाय नहीं किया गया है :

परंतु जहां किसी राशि की बाबत अध्याय 17ख के अधीन किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कर का संदाय किया गया है और उसकी कटौती की गई है वहां ऐसी राशि की, उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में, जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है और उसकी कटौती की गई है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसी किसी राशि की बाबत अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती नहीं की गई है और पश्चात्वर्ती वर्ष में धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति से पूर्व संदाय किया गया है वहां ऐसी राशि की उस पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में, जिसमें ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ था, कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है ;

(आ) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है ;';

(ख) उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iii) कोई ऐसा संदाय, जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, यदि यह,—

(अ) भारत के बाहर ; या

(आ) किसी अनिवासी को,

संदेय है और यदि अध्याय 17ख के अधीन उस पर न तो कर संदत्त किया गया है, न ही उसकी उससे कटौती की गई है ;'।

धारा 43 का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 43 में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(क) खंड (3) में, "या पशु धन" शब्दों के पश्चात्, "या भवन या फर्नीचर और फिटिंग" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (6) के स्पष्टीकरण 2ख में, "लेखा बहियों में दिखाया गया" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 43ख का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(क) खंड (ङ) में,—

(i) "सावधि ऋण" शब्दों के स्थान पर, "ऋण या अग्रिम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "ऐसे ऋण" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे ऋण या अग्रिम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक में "खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) या खंड (च) में निर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ग) दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 44ककक का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 44कक की उपधारा (2) के खंड (iii) में, "धारा 44कच" शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या धारा 44खख या धारा 44खखख" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 44कख का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में, 1 अप्रैल, 2004 से —

(क) खंड (ग) में, "धारा 44कच" शब्द, अंक और अक्षरों के पश्चात्, "या धारा 44खख या धारा 44खखख" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक में, "धारा 44खख या धारा 44खखक या धारा 44खखख" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, "धारा 44खखक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 44ककङ का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 44ककङ की उपधारा (1) में, "जिसके स्वामित्व में दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं" शब्दों के स्थान पर, "जिसके स्वामित्व में पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं" शब्द, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे।

धारा 44खख का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 44खख की उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा, यदि वह ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखता है और उन्हें बनाए रखता है, जो धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित हैं और धारा 44कख के अधीन अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट दे देता है और तदुपरांत निर्धारण अधिकारी, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा ।"।

धारा 44खखख का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 44खखख में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(क) विद्यमान धारा को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में, "और जिनका वित्तपोषण किसी अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन किया जाता है," शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) इस धारा की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा यदि वह धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन यथाअपेक्षित लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखता है या उन्हें बनाए रखता है और अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है तथा धारा 44कख के अधीन यथाअपेक्षित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है और तदुपरांत निर्धारण अधिकारी, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा ।"।

धारा 44घ का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 44घ के खंड (ख) में, "31 मार्च, 1976 के पश्चात्" अंकों और शब्दों के पश्चात्, "किंतु 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व" शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 44घक का अंतःस्थापन।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 44घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनिवासियों की दशा में स्वामिस्व आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध।

'44घक. (1) 31 मार्च, 2003 के पश्चात् सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय की, जहां ऐसा अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी भारत में वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारबार करती है या वहां स्थित वृत्ति के निश्चित स्थान से वृत्तिक सेवाएं प्रदान करती हैं और अधिकार, संपत्ति या संविदा, जिसके संबंध में स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संदत्त की जाती है, यथास्थिति, ऐसे स्थायी स्थापन या वृत्ति के निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से जुड़े हुए हैं, संगणना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार "कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन की जाएगी :

परंतु कोई कटौती,—

(i) ऐसे किसी व्यय या मोक की बाबत, जो भारत में ऐसे स्थायी स्थापन के कारबार या वृत्ति के निश्चित स्थान के लिए पूर्णतः या अनन्यतः उपगत नहीं हुआ है ; या

(ii) ऐसी रकमों, यदि कोई हों, की बाबत, जो स्थायी स्थापन द्वारा अपने मुख्यालय या अपने अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को संदत्त (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति से अन्यथा भिन्न मद्दे) की गई हैं,

अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2) प्रत्येक अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी धारा 44कक के उपबंधों के अनुसार लेखा बही तथा अन्य दस्तावेज रखेगी और उन्हें बनाए रखेगी और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराएगी और आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट देगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(ख) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है ;

(ग) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ है जो धारा 92च के खंड (iiiक) में है ।'।

धारा 45 का संशोधन।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 45 में, उपधारा (5) में, खंड (ख) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में, किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिकर या प्रतिफल अथवा खंड (ख) में वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल को हिसाब में लेकर संगणित किया जाता है और तत्पश्चात् ऐसे प्रतिकर या प्रतिफल में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कटौती कर दी जाती है, वहां उस वर्ष के इस प्रकार निर्धारित पूंजी अभिलाभ को ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कटौती किए गए प्रतिकर या प्रतिफल को हिसाब में लेकर पुनः संगणना की जाएगी जो प्रतिफल का पूरा मूल्य होगी ।"।

धारा 47 का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(क) खंड (xiii) में, "निगमीकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "अनपरस्परीकरण या निगमीकरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (xiii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xiiiक) किसी पूंजी आस्ति का, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा शेयरों के अर्जन तथा अनपरस्परीकरण या निगमीकरण की किसी स्कीम के अनुसार, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है, उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित व्यवसाय या निकासी अधिकारों के लिए धारित सदस्यता का अधिकार है, कोई अंतरण ;"।

1992 का 15

धारा 55 का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(क) खंड (कख) में "निगमीकरण" शब्द के स्थान पर, "अनपरस्परीकरण या निगमीकरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (कख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी पूंजी आस्ति की लागत को, जो ऐसे शेयर धारक द्वारा अर्जित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के व्यापार या समाशोधन अधिकार हैं, जिसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण की किसी स्कीम के अधीन साधारण शेयर या शेयर आबंटित किए गए हैं, शून्य समझा जाएगा ;"।

धारा 57 का संशोधन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 57 के खंड (i) में, "लाभांशों की दशा में" शब्दों के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों की दशा में" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ।

धारा 72क का संशोधन।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 72क में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) जहां किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या किसी होटल के स्वामी किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी से समामेलन हुआ है या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी का किसी विनिर्दिष्ट बैंक से समामेलन हुआ है वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी समामेलक कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन किया गया था, समामेलित कंपनी के अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक माने जाएंगे और हानि के मुजरा तथा अग्रनयन और अवक्षयण के मोक से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

1949 का 10

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी संचयित हानि मुजरा या अग्रनीत नहीं की जाएगी और शेष अवक्षयण समामेलित कंपनी के निर्धारण में तभी अनुज्ञात किया जाएगा जबकि,—

(क) समामेलक कंपनी,—

(i) कम से कम ऐसे तीन वर्ष के लिए, जिसके दौरान संचयित हानि हुई है या शेष अवक्षयण संचयित हुआ है, कारबार में लगी रही है ;

(ii) समामेलन की तारीख को, समामेलन की तारीख के पूर्व दो वर्ष तक इसके द्वारा धारित स्थिर आस्तियों के कम से कम तीन बटा चार बही मूल्य को लगातार प्रतिधारित किया हो ;

(ख) समामेलित कंपनी,—

(i) समामेलन की तारीख से कम से कम पांच वर्ष के लिए समामेलन की स्कीम में अर्जित समामेलक कंपनी की स्थिर आस्तियों के कम से कम तीन बटा चार बही मूल्य को लगातार प्रतिधारित करती हो ;

(ii) समामेलन की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए समामेलक कंपनी का कारबार चालू रखती है ;

(iii) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो समामेलक कंपनी के कारबार को पुनर्जीवित करने को सुनिश्चित करने के लिए या यह सुनिश्चित करने के लिए कि समामेलन विशुद्ध कारबार के प्रयोजन के लिए है, विहित की जाएं ।";

(ख) उपधारा (7) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) "विनिर्दिष्ट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है ।'।

1955 का 23
1959 का 38
1970 का 5
1980 का 40

धारा 80घघ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

किसी आश्रित के जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती।

'80घघ. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान,—

(क) कोई व्यय किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किया है ; या

(ख) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, भरण-पोषण के लिए इस निमित्त बनाई गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कोई रकम संदत्त या जमा की है,

वहां निर्धारिती को इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए पूर्ववर्ष की बाबत उसकी सकल कुल आय से पचास हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु जहां ऐसा आश्रित गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति है वहां इस उपधारा के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचहत्तर हजार रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:—

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट स्कीम में ऐसे किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य की, जिसके नाम में स्कीम में अभिदाय किया गया है, मृत्यु की दशा में किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के संदाय का उपबंध है ;

(ख) निर्धारिती ऐसे आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए निःशक्त आश्रित व्यक्ति को अथवा उसकी ओर से संदाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या किसी न्यास को नामनिर्देशित करता है ।

(3) यदि आश्रित की, जो निःशक्त व्यक्ति है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम के बराबर किसी रकम को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी रकम निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाती है, निर्धारिती की आय समझा जाएगा और तदनुसार वह उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगी ।

(4) निर्धारिती इस धारा के अधीन कटौती का दावा करते समय विहित प्ररूप और रीति में चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति के साथ उस पूर्ववर्ष की बाबत, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देगा:

परंतु जहां निःशक्तता की शर्त में, पूर्वोक्त प्रमाणपत्र में अनुबंधित अवधि के पश्चात् उसकी सीमा का पुनर्निर्धारण अपेक्षित है, उस पूर्ववर्ष की, जिसके दौरान निःशक्तता का पूर्वोक्त प्रमाणपत्र समाप्त हुआ था, समाप्ति के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष से संबंधित किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक चिकित्सा प्राधिकारी से, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, नया प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जाता है और आय की विवरणी के साथ उसकी एक प्रति नहीं दे दी जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रशासक" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है ; 2002 का 58

(ख) "आश्रित" से अभिप्रेत है,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि का पति/पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहनें या उनमें से कोई ;

(ii) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य,

जो अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब पर पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है और जिसने पूर्ववर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए अपनी कुल आय की संगणना करने में धारा 80प के अधीन किसी कटौती का दावा नहीं किया है ;

(ग) "निःशक्तता" का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में है ; 1996 का 1

(घ) "जीवन बीमा निगम" का वही अर्थ है जो धारा 88 की उपधारा (8) के खंड (iii) में है ;

(ङ) "चिकित्सा प्राधिकारी" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (त) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 1996 का 1

(च) "निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 की उपधारा (न) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ; 1996 का 1

(छ) "गंभीर निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति अभिप्रेत है ; 1996 का 1

(ज) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ।'। 2002 का 58

धारा 80घघख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती।

'80घघख. जहां किसी निर्धारिती ने, जो भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे रोग या व्याधि के, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सीय उपचार के लिए कोई व्यय,—

(क) अपने लिए या किसी आश्रित के लिए, यदि निर्धारिती कोई व्यष्टि है ; या

(ख) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के लिए, यदि निर्धारिती कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है,

वास्तव में उपगत किया है वहां निर्धारिती को उस पूर्ववर्ष के संबंध में, जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया गया था, वास्तव में उपगत व्यय या चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती, इन दोनों में से जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु कोई ऐसी कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती आय-कर की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी तंत्रिका विज्ञानी, किसी अर्बुद्ध विज्ञानी, किसी मूत्ररोग विज्ञानी, किसी रुधिर विज्ञानी, किसी प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ का, जो विहित किया जाए, प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन कटौती में से उतनी राशि, यदि कोई हो, जो किसी बीमाकर्ता से किसी बीमा के अधीन प्राप्त की जाती है या खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार के लिए किसी नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, कम कर दी जाएगी :

परंतु यह भी कि जहां व्यय निर्धारिती या उसके आश्रित या निर्धारिती के किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य की बाबत उपगत हुआ है और जो एक वरिष्ठ नागरिक है वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "चालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "साठ हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "आश्रित" से,—

(क) किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि की पत्नी या पति, बालक, माता-पिता, भाई और बहन या उनमें से कोई अभिप्रेत है ;

(ख) हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, हिंदू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य अभिप्रेत है,

जो ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब पर अपने सहारे और भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है ;

(ii) "सरकारी अस्पताल" के अंतर्गत सरकारी सेवकों के किसी वर्ग या वर्गों और उनके कुटुंब के सदस्यों की चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के लिए सरकार के किसी विभाग द्वारा स्थापित और चलाए जा रहे पूर्णकालिक या अंशकालिक कोई विभागीय औषधालय, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित कोई अस्पताल और कोई अन्य अस्पताल, जिसका प्रबंध सरकारी सेवकों के उपचार के लिए सरकार द्वारा किया गया है, आते हैं ;

1938 का 4

(iii) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (9) में है ;

(iv) "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है ।'।

धारा 80झक का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में,—

(i) उपधारा (2) में, "किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षित और प्रचालित करता है" शब्दों के स्थान पर, "या किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में,—

(क) खंड (ii) में, "31 मार्च, 2003" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2004" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) खंड (iii) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2002 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि उस दशा में जहां कोई उपक्रम, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् कोई औद्योगिक पार्क या 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् कोई विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है और, यथास्थिति, ऐसे औद्योगिक पार्क या ऐसे विशेष आर्थिक जोन के प्रचालन और अनुरक्षण को, अन्य उपक्रम को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अंतरिती उपक्रम कहा गया है) अंतरित कर देता है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे अंतरिती उपक्रम को दस आनुक्रमिक निर्धारण वर्षों की शेष अवधि के लिए अनुज्ञात की जाएगी मानो प्रचालन और अनुरक्षण ऐसे अंतरिती उपक्रम को अंतरित नहीं किया गया था;"।

धारा 80झख का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में, 1 अप्रैल, 2004 से—

(क) उपधारा (4) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन, धारा 80झग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम को, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।";

(ख) उपधारा (8क) के खंड (iii) में, "1 अप्रैल, 2003" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2004" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, "31 मार्च, 2001" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2005" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "और उसे 31 मार्च, 2003 के पूर्व पूरा कर लेता है" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (11) में "31 मार्च, 2003" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2004" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 80झग का अंतःस्थापन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख के पश्चात् निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय विशेष प्रवर्ग के राज्यों में कतिपय उपक्रमों या उद्यमों की बाबत विशेष उपबंध।

'80झग. (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम को व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे लाभ और अभिलाभ में से इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम या उद्यम को लागू होती है,—

(क) जिसने किसी ऐसी वस्तु या चीज का, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन आरंभ किया है या जो आरंभ करता है या जो किसी ऐसी वस्तु या चीज का, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन करता है और—

(i) 23 दिसंबर, 2002 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, सिक्किम राज्य में किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है ; या

(ii) 7 जनवरी, 2003 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य में किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है ; या

(iii) 24 दिसंबर, 1997 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, किसी पूर्वोत्तर राज्य में, किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है,

सारवान् विस्तार करता है ;

(ख) जिसने चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ किया है या करता है या उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संक्रिया प्रारंभ करता है या जो चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संक्रिया प्रारंभ करता है और, —

(i) 23 दिसंबर, 2002 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, सिक्किम राज्य में ; या

(ii) 7 जनवरी, 2003 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य में ; या

(iii) 24 दिसंबर, 1997 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, किसी पूर्वोत्तर राज्य में,

सारवान् विस्तार करता है ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती, —

(i) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) और (iii) या खंड (ख) के उपखंड (i) और (iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम की दशा में, आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का शतप्रतिशत की जाएगी ;

(ii) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) या खंड (ख) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम की दशा में, आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का शतप्रतिशत की जाएगी और तत्पश्चात्, लाभों और अभिलाभों का पच्चीस प्रतिशत (या तीस प्रतिशत, जहां निर्धारिती कोई कंपनी है) की जाएगी ।

(4) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम या उद्यम को लागू होती है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और अवधि के भीतर पुनःस्थापन, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है ;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, उपक्रम या उद्यम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10क या धारा 10ख के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, किसी उपक्रम या उद्यम को कोई कटौती वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां इस धारा के अधीन कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि या, यथास्थिति, धारा 80झख की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक या धारा 10ग के अधीन कटौती की कुल अवधि दस निर्धारण वर्षों से अधिक होती है ।

(7) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र उपक्रम या उद्यम को लागू होंगे ।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(i) "औद्योगिक क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(ii) "औद्योगिक संपदा" से ऐसी संपदाएं अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(iii) "औद्योगिक संवर्धन केंद्र" से ऐसे केंद्र अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(iv) "औद्योगिक पार्क" से ऐसे पार्क अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(v) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उपक्रम या उद्यम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या संक्रिया प्रारंभ करता है, या सारवान् विस्तार पूरा करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;

(vi) "एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र" से ऐसे केंद्र अभिप्रेत हैं जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(vii) "पूर्वोत्तर राज्यों" से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत हैं ;

(viii) "साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क" से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अनुसार गठित कोई पार्क अभिप्रेत है ;

(ix) "सारवान् विस्तार" से संयंत्र और मशीनरी में, विनिधान में पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पचास प्रतिशत तक की (किसी वर्ष में अवक्षयण को लेने से पूर्व) वृद्धि अभिप्रेत है, जिसमें सारवान् विस्तार किया जाता है ;

(x) "थीम पार्क" से ऐसे पार्क अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई या अधिसूचित की गई स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट करे ।' ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ की उपधारा (1) में,— धारा 80ठ का संशोधन।

(क) खंड (iv), खंड (v) और खंड (vक) का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (1) और खंड (2) में, "नौ हजार" शब्दों के स्थान पर "बारह हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 80ड का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा । धारा 80ड का लोप।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 80थथक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 80थथख का अंतःस्थापन।

'80थथख. (1) जहां भारत में निवासी किसी व्यष्टि की दशा में, जो लेखक है, सकल कुल आय में किसी पुस्तक के, जो साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की कृति है, प्रतिलिप्यधिकार में उसके किन्हीं हितों के समनुदेशन या मंजूरी के लिए किसी एकमुश्त प्रतिफल या ऐसी पुस्तक की बाबत स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस (चाहे एक मुश्त या अन्यथा प्राप्य हो) के मद्दे उसकी वृत्ति के प्रयोग में उसके द्वारा व्युत्पन्न कोई आय भी सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित ऐसी आय से कटौती अनुज्ञात की जाएगी । पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की स्वामिस्व आय, आदि की बाबत कटौती।

(2) इस धारा के अधीन कटौती, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी संपूर्ण आय या तीन लाख रुपए की रकम के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगी :

परंतु जहां ऐसे स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस के रूप में आय, पुस्तक में निर्धारिती के सभी अधिकारों के बदले एकमुश्त प्रतिफल नहीं है वहां ऐसी आय के संबंध में किए जाने वाले व्ययों को अनुज्ञात करने से पूर्व आय के उतने भाग को, जो पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय की गई ऐसी पुस्तकों के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो, छोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह और कि भारत के बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत, आय के उतने भाग को इस धारा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आय उपार्जित की गई है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, अंत से छह मास की अवधि के भीतर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाई जाती है ।

(3) इस धारा के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी, जब निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप और विहित रीति में, ऐसी विशिष्टियां उल्लिखित करते हुए, जो विहित की जाएं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती को, ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित कोई प्रमाणपत्र दे देता है ।

(4) इस धारा के अधीन कोई कटौती भारत के बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत तभी अनुज्ञात होगी जब निर्धारिती, विहित रीति में आय की विवरणी के साथ विहित प्राधिकारी से विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र दे देता है ।

(5) जहां इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय की बाबत किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी कटौती का दावा किया गया है और अनुज्ञात किया गया है वहां ऐसी आय की बाबत कोई कटौती किसी निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "लेखक" के अंतर्गत संयुक्त लेखक हैं ;

(ख) "पुस्तक" के अंतर्गत निर्देशिका, समीक्षा, डायरी, मार्गदर्शिका, जर्नल, पत्रिका, समाचारपत्र, विवरणिका, विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकें, ट्रैक्ट और इसी प्रकार के अन्य प्रकाशन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, नहीं हैं ;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है ;

(घ) स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार की फीस के संबंध में, "एकमुश्त राशि" के अंतर्गत ऐसे स्वामिस्वों या प्रतिलिप्यधिकार की फीस मद्दे किया गया ऐसा अग्रिम संदाय भी है, जिसे वापस नहीं किया जाना है ।'।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 80ददक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 80ददख का अंतःस्थापन।

'80ददख. (1) जहां ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो व्यष्टि है, और जो— पेटेंटों पर स्वामिस्व की बाबत कटौती।

(क) भारत का निवासी है ;

(ख) कोई पेटेंटी है ;

1970 का 39 (ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किसी पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में कोई आय प्राप्त करता है, और

उसकी पूर्ववर्ष की सकल कुल आय में स्वामिस्व सम्मिलित है वहां उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी आय से ऐसी संपूर्ण आय के बराबर रकम की या तीन लाख रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

1970 का 39 परंतु जहां पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन किसी पेटेंट की बाबत कोई अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है वहां इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए स्वामिस्व के रूप में आय, उस अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा निर्धारित किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अधीन स्वामिस्व की रकम से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि भारत से बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत उतनी आय को इस धारा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से उस पूर्ववर्ष के अंत से, जिसमें ऐसी आय उपार्जित की जाती है, छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में लाई जाती है ।

(2) इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती, ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, वर्णित करते हुए आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

(3) इस धारा के अधीन कोई कटौती भारत से बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों से, जो विहित किए जाएं, प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

(4) जहां किसी पूर्ववर्ष के लिए इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय की बाबत किसी कटौती का दावा किया गया है और वह अनुज्ञात की गई है वहां किसी निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नियंत्रक" का वही अर्थ है जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ; 1970 का 39

(ख) "एकमुश्त" के अंतर्गत ऐसे स्वामिस्व की बाबत, जो नहीं लौटाई जानी है, कोई अग्रिम संदाय भी आता है ;

(ग) "पेटेंट" से पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन कोई पेटेंट (जिसमें परिवर्धन का कोई पेटेंट सम्मिलित है) अभिप्रेत है ; 1970 का 39

(घ) "पेटेंटी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आविष्कार का असली और मूल आविष्कारक है, जिसका नाम पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार पेटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर में दर्ज है और जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो आविष्कार का असली और मूल आविष्कारक है, यदि उस पेटेन्ट की बाबत एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उस अधिनियम के अधीन पेटेंटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ; 1970 का 39

(ङ) "परिवर्धन का पेटेंट" का वही अर्थ है जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (थ) में है ; 1970 का 39

(च) "पेटेंटीकृत वस्तु" और "पेटेंटीकृत प्रक्रिया" के क्रमशः वही अर्थ हैं जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में हैं ; 1970 का 39

(छ) किसी पेटेंट की बाबत "स्वामिस्व" से, निम्नलिखित के लिए प्रतिफल अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत एकमुश्त प्रतिफल है किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा प्रतिफल नहीं है जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य प्राप्तकर्ता की आय या पेटेंटीकृत प्रक्रिया या पेटेंटीकृत वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पाद के विक्रय के लिए प्रतिफल है)—

(i) किसी पेटेंट की बाबत सभी या किसी अधिकार का अंतरण (जिसके अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति का अनुदत्त करना है) ; या

(ii) किसी पेटेंट के कार्यकरण या उपयोग से संबंधित कोई सूचना देना ; या

(iii) किसी पेटेंट का उपयोग करना ; या

(iv) उपखंड (i) से उपखंड (iii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराना ;

(ज) "असली और मूल आविष्कारक" का वही अर्थ है जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (म) में है ।'। 1970 का 39

धारा 80प के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 80प के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

किसी निःशक्त व्यक्ति की दशा में कटौती।

'80प. (1) किसी ऐसे व्यष्टि की, जो निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्त व्यक्ति प्रमाणित है, कुल आय की संगणना करने में पचास हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु जहां ऐसा व्यष्टि गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति है वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचहत्तर हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों ।

(2) इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा करने वाला प्रत्येक व्यष्टि, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की एक प्रति उस निर्धारण वर्ष की बाबत, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, धारा 139 के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां निःशक्तता की स्थिति के प्रभाव का उपर्युक्त प्रमाणपत्र में नियत किसी अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण अपेक्षित हो, वहां इस धारा के अधीन उस पूर्ववर्ष के अवसान के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके दौरान उपर्युक्त निःशक्तता प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है, कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक उस प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, चिकित्सा प्राधिकारी से अभिप्राप्त एक नया प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उसकी एक प्रति धारा 139 के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "निःशक्तता" का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में है ; 1996 का 1

(ख) "चिकित्सा प्राधिकारी" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (त) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 1996 का 1

(ग) "निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ; 1996 का 1

(घ) "गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में यथानिर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति अभिप्रेत है ।'। 1996 का 1

41. आय-कर अधिनियम की धारा 88 में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 88 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (xivक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xivख) जो—

(क) भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था को ;

(ख) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किन्हीं व्यक्तियों की पूर्णकालिक शिक्षा के प्रयोजन के लिए,

चाहे प्रवेश के समय या उसके पश्चात् (किसी विकास फीस या संदान या उसी प्रकार के संदाय के लिए किए गए किसी संदाय को अपवर्जित करते हुए) अध्यापन फीस के रूप में है ;";

(ii) खंड (xvi) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "उपयुक्त पूंजी पुरोधरण" से ऐसा पुरोधरण अभिप्रेत है जो भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी या किसी पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा किया गया है और ऐसे पुरोधरण के समस्त आगमों का उपयोग पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से धारा 80झक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

1956 का 1 (ii) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में है ;

1956 का 1 (iii) "पब्लिक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में है ;';

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (2) के उपबंध किसी आस्थगित वार्षिकी की किसी संविदा से भिन्न बीमा पालिसी पर दिए गए केवल उतने किसी प्रीमियम या अन्य संदाय को ही लागू होंगे जो बीमा की गई वास्तविक पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसी वास्तविक पूंजी राशि की संगणना करने में,—

(i) लौटाए जाने के लिए करार किए गए किन्हीं प्रीमियमों के मूल्य पर ; या

(ii) वास्तव में बीमा की गई राशि से अधिक बोनस के रूप में या अन्यथा किसी फायदे को, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या किया जा सकता है,

गणना में नहीं लिया जाएगा ।";

(ग) उपधारा (4) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) उस उपधारा के खंड (xivख) के प्रयोजन के लिए किसी व्यष्टि की दशा में ऐसे व्यष्टि के कोई दो बालक ।";

(घ) उपधारा (5) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और भी कि जहां उपधारा (2) के खंड (xivख) में विनिर्दिष्ट कोई कुल राशि किसी बालक की बाबत बारह हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां ऐसी राशि की बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती उतनी कुल राशि के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो ऐसे बालक की बाबत बारह हजार रुपए की राशि से अधिक नहीं होती है ।"।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 88ख में, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे । धारा 88ख का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 90 में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 90 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क)(i) ऐसी आय की बाबत, जिस पर इस अधिनियम के अधीन आय-कर और उस देश में आय-कर दोनों का संदाय किया जा चुका है ; या

(ii) पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार और विनिधान के संवर्धन के लिए इस अधिनियम के अधीन या उस देश में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर की बाबत,

राहत देने के लिए, या";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम या उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और इस अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में उसका है ।"।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2004 से,— धारा 115क का संशोधन।

(i) खंड (क) में, "लाभांशों" शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांश" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के आरंभिक भाग में, "किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त फीसों के रूप में कोई आय " शब्दों के स्थान पर, "धारा 44घक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी की कुल आय में, सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त फीसों के रूप में" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 115कग में, "लाभांशों" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न ऐसे लाभांशों" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे । धारा 115कग का संशोधन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक में, "लाभांशों के रूप में आय" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न ऐसे लाभांशों के रूप में आय" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे । धारा 115कगक का संशोधन।

धारा 115कघ का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में, "आय" शब्द के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न आय" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ।

धारा 115ग का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 115ग के खंड (ग) में, "व्युत्पन्न आय" शब्दों के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न रूप में व्युत्पन्न आय" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ।

धारा 115ण का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, और इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी देशी कंपनी की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, ऐसी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् लाभांशों के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा), चाहे वे चालू लाभ या संचित लाभ हों, घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् वितरित लाभ पर कर कहा गया है) प्रभारित किया जाएगा ।"।

धारा 115द का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115द में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की कोई रकम कर के लिए प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि ऐसी वितरित आय पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने का दायी होगी :

परंतु इस उपधारा की कोई बात, ऐसी निधियों से किए गए किसी विवरण की बाबत, —

(क) यूनिट धारकों के किसी विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक द्वारा; या

(ख) खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि के किसी यूनिट धारक को,

1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए संवितरित किसी आय की बाबत लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रशासक" और "विनिर्दिष्ट कंपनी" का वही अर्थ है, जो धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका है।' ।

धारा 115ध का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115ध में, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संवितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और भारतीय यूनिट ट्रस्ट" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संवितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और विनिर्दिष्ट कंपनी" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 2002 का 58

धारा 115न का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115न में, आरंभिक भाग में, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संवितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और भारतीय यूनिट ट्रस्ट" शब्दों के स्थान पर, " भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संवितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और विनिर्दिष्ट कंपनी" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 2002 का 58

धारा 132 का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए कोई सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जो कारबार का स्टाक व्यापार है, अभिगृहीत नहीं की जाएगी किंतु प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कारबार के व्यापार स्टाक का टिप्पण या सूची तैयार करेगा ;";

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक की कोई बात किसी मूल्यवान वस्तु या चीज, जो कारबार का व्यापार स्टाक है, की दशा में लागू नहीं होगी ;";

(ख) उपधारा (8) में, "धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन" शब्दों, अंक, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 153क या धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 132ख का संशोधन।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (i) में,—

(i) "ब्लाक अवधि के लिए अध्याय 14ख के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क और उस पूर्ववर्ष से, जिसमें, यथास्थिति, तलाशी आरंभ की जाती है, या अध्यपेक्षा की जाती है या ब्लाक अवधि के लिए अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण के पूरा होने पर दायित्व की रकम का अवधारण किया जाता है, सुसंगत वर्ष के निर्धारण के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) पहले परंतुक में, "जहां ऐसी किसी आस्ति के अर्जन की प्रकृति और स्रोत को निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "जहां संबंधित व्यक्ति उस मास के, जिसमें आस्ति अभिगृहीत की गई थी, अंत से तीस दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को आस्ति के उन्मोचन के लिए आवेदन करता है और ऐसी किसी आस्ति की प्रकृति और स्रोत को निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के खंड (ख) में "अध्याय 14ख के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क के अधीन या अध्याय 14ख के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 133क का संशोधन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 133क में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (3) के खंड (iक) के परंतुक में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) उसके लिए, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना दस दिन से अधिक अवधि के लिए (अवकाशों को छोड़कर) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा,";

(ख) उपधारा (6) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु, यथास्थिति, आय-कर के संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी सहायक निदेशक या उपनिदेशक या निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी या निरीक्षक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ;';

(ग) उपधारा (6) के नीचे स्पष्टीकरण में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "आय-कर प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, कोई निदेशक, कोई संयुक्त निदेशक, कोई सहायक निदेशक या कोई उपनिदेशक या कोई निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी और उपधारा (1) के खंड (i), उपधारा (3) के खंड (i) और उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत कोई आय-कर निरीक्षक भी है ;'।

धारा 139 का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, जो कंपनी है या कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे प्ररूप में (जिसके अंतर्गत कोई फ्लापी, डिस्कैट, मेग्नेटिक कार्टरिज टेप, सीडी-रोम या कोई अन्य कंप्यूटर पठनीय संचार माध्यम भी है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी देगा और ऐसी दशा में, ऐसी स्कीम के अधीन दी गई आय की विवरणी उपधारा (1) के अधीन दी गई आय की विवरणी समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।"।

धारा 140क का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 140क में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) में, "यथास्थिति, धारा 158खग" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 153क या धारा 158खग" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "धारा 158खग के अधीन निर्धारण" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 153क या धारा 158खग के अधीन निर्धारण" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 143 का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) में, 1 जून, 2003 से,—

(क) खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस खंड के अधीन कोई सूचना 1 जून, 2003 को या उसके पश्चात् निर्धारिती पर तामील नहीं की जाएगी ;";

(ख) खंड (ii) के नीचे परंतुक में, "इस उपधारा के अधीन" शब्दों के स्थान पर, "खंड (ii) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

नई धारा 153क, 153ख और 153ग का अंतःस्थापन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण।

"153क. धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति की दशा में जहां 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है वहां निर्धारण अधिकारी—

(क) ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा जिसमें उससे ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों में आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत आय की विवरणी ऐसे प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां उपदर्शित करने की, जो विहित की जाए, अपेक्षा की जाएगी तथा इस अधिनियम के उपबंध यथासाध्य तदनुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अधीन दी जानी अपेक्षित है ;

(ख) उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी ऐसे छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी लेने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को लंबित इस धारा में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्निर्धारण, यदि कोई हो, का उपशमन होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि,—

(i) इस धारा में उपबंधित अन्य बातों के सिवाय, धारा 153ख और धारा 153ग, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध इस धारा के अधीन किए गए निर्धारण को लागू होंगे ;

(ii) इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किए गए किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण में, ऐसे निर्धारण वर्ष को लागू दर या दरों पर कर प्रभार्य होगा ।

धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा।

153ख. (1) धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी निर्धारण अधिकारी,—

(क) धारा 153क के खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत उस वित्तीय वर्ष के अंत से, दो वर्ष की अवधि के भीतर, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम को निष्पादित किया गया था, निर्धारण या पुनर्निधारण का आदेश करेगा ;

(ख) उस पूर्ववर्ष से जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के भीतर, जिसमें धारा 132 के भीतर तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम का निष्पादन किया गया था, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनो के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में,—

(i) वह अवधि, जिसके दौरान निर्धारण की कार्रवाई पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश के द्वारा रोक लगा दी जाती है; या

(ii) उस दिन से प्रारंभ होने वाली जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा का निदेश देता है और उस दिन को समाप्त होने वाली अवधि जिसको निर्धारिती से उस उपधारा के अधीन ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है ; या

(iii) पूरी कार्रवाई या उसके किसी भाग को पुनः खोलने में या निर्धारिती को धारा 129 के उपबंध के अधीन पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा समय ; या

(iv) उस दशा में जहां धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किया गया कोई आवेदन उसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है या उसके द्वारा कार्रवाई करने के लिए अनुज्ञात नहीं की जाती है, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है और उस तारीख से समाप्त होने वाली अवधि, जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आदेश प्राप्त किया जाता है,

अपवर्जित की जाएगी :

परंतु जहां उपर्युक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् इस धारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास साठ दिनों से कम उपलब्ध है वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक विस्तारित किया जाएगा और परिसीमा की उपर्युक्त अवधि को तदनुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकार को,—

(क) तलाशी की दशा में, किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया गया है, बनाए गए अंतिम पंचनामे में अभिलिखित तलाशी पूरी होने पर,

(ख) धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर,

निष्पादित किया गया समझा जाएगा ।

किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण।

153ग. धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज या लेखा बहियां या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित दस्तावेज धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के हैं वहां लेखा बही, दस्तावेज या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा ।"।

धारा 155 का संशोधन।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 155 की उपधारा (15) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(16) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण है या ऐसा अंतरण है जिसके लिए प्रतिफल केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित या अनुमोदित किया गया था, प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत हुए समझे जाने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में, यथास्थिति, धारा 45 की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिकर या प्रतिफल को या खंड (ख) में निर्दिष्ट बढ़े हुए या और बढ़े हुए प्रतिकर या प्रतिफल के मूल्य को लेकर की जाती है और बाद में उस प्रतिकर या प्रतिफल को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारण के आदेश को संशोधित करेगा जिससे कि न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार कम किए गए प्रतिकर या प्रतिफल को प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में लेकर पूंजी लाभ की संगणना की जा सके ; और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसे लागू होंगे तथा चार वर्ष की अवधि की संगणना उस पूर्ववर्ष के, जिसमें प्रतिकर को कम करने वाला आदेश न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था, अंत से, की जाएगी ।

(17) जहां किसी निर्धारिती को किसी निर्धारण वर्ष में किसी पेटेंट की बाबत धारा 80ददख के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है और बाद में पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन नियंत्रक या उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा,— 1970 का 39

(i) पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया था, या

(ii) निर्धारिती के नाम को उस पेटेंट की बाबत पेटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर से निकाल दिया गया था,

वहां उस अवधि के लिए, जिसके दौरान पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया था या उस अवधि के लिए जिसके लिए निर्धारिती का नाम उस पेटेंट की बाबत पेटेंटी के रूप में निकाला गया था, दिए गए स्वामिस्व के रूप में आय से कटौती गलत तौर पर अनुज्ञात की गई समझी जाएगी और निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय पुनःसंगणित कर सकेगा और आवश्यक संशोधन कर सकेगा तथा धारा 154 के उपबंध नियंत्रक उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना उस पूर्ववर्ष के जिसमें पेटेंट अधिनियम, 1970 की, यथास्थिति, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रक या उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश पारित किया गया था, अंत से की जाएगी, जहां तक हो सके उसको लागू होंगे ।'। 1970 का 39

61. आय-कर अधिनियम की धारा 158खज के पश्चात् निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-- नई धारा 158खझ का अंतःस्थापन ।

"158खझ. इस अध्याय के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है ।"। अध्याय का कतिपय् तारीख के पश्चात् लागू न होना।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 163 की उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 163 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कारबारी संपर्क" पद का वही अर्थ है जो इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 2 में है ।'।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 184 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 184 का संशोधन।

'(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किसी फर्म की ओर से ऐसी कोई असफलता होती है जो धारा 144 में उल्लिखित है वहां फर्म का इस प्रकार निर्धारण किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदाय के रूप में, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किया गया हो, कोई कटौती "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में अनुज्ञात नहीं की जाएगी और ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, भागीदार की कुल आय में, धारा 28 के खंड (V) के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं होगा ।'।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 185 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 185 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'185. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई फर्म, किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 184 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है वहां उस फर्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदाय के रूप में, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किया गया हो, कोई कटौती "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में अनुज्ञात नहीं की जाएगी और ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, भागीदार की कुल आय में, धारा 28 के खंड (V) के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं होगा ।'। जब धारा 184 का अनुपालन नहीं किया जाता है तब निर्धारण।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 191 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 191 का संशोधन।

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि धारा 200 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति और धारा 194 में निर्दिष्ट मामलों में प्रधान अधिकारी और वह कंपनी, जिसका वह प्रधान अधिकारी है, संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है और ऐसे कर को निर्धारिती द्वारा सीधे संदत्त नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति, प्रधान अधिकारी और कंपनी को, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह या यह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा ।"।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 193 में, आरंभिक भाग में, "किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "किसी निवासी को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" शब्द 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे । धारा 193 का संशोधन।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 194 में,— धारा 194 का संशोधन।

(क) पहले परंतुक के खंड (ख) में, "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे और 1 अगस्त, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि धारा 115ण में निर्दिष्ट किन्हीं लाभांशों की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (4) और उपधारा (5) का 1 जून, 2003 से लोप किया जाएगा । धारा 194ग का संशोधन।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 194छ में, उपधारा (2) और उपधारा (3) का 1 जून, 2003 से लोप किया जाएगा । धारा 194छ का संशोधन।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ में, आरंभिक भाग में, "कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी व्यक्ति को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है" शब्दों के स्थान पर, "कोई व्यक्ति जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी निवासी को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है" शब्द 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे । धारा 194झ का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ में 1 जून, 2003 से,— धारा 194ञ का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस के रूप में राशि पर आय-कर की कटौती का दायी नहीं होगा यदि ऐसी राशि ऐसे व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से जमा या संदत्त की जाती है ।";

(ख) उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 194ट में,— धारा 194ट का संशोधन।

(क) पहले परंतुक में, "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे और 1 अगस्त, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा की गई या संदत्त किसी ऐसी आय से इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 195 में,— धारा 195 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "(जो प्रतिभूतियों पर ब्याज नहीं है)" कोष्ठकों और शब्दों का 1 जून, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।";

(ख) उपधारा (2) में, "(जो प्रतिभूतियों पर ब्याज और वेतन से भिन्न है)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(जो वेतन से भिन्न है)" 1 जून, 2003 से कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 196क का संशोधन।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसी आय से नहीं की जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा या संदत्त की गई है ।"।

धारा 196ग का संशोधन।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 196ग में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"।

धारा 196घ का संशोधन।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"।

धारा 197 का संशोधन।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में 1 जून, 2003 से,—

(क) "किसी व्यक्ति की किसी आय" शब्दों के स्थान पर, "किसी व्यक्ति की कोई आय या किसी व्यक्ति को संदेय राशि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "धारा 194क, धारा 194घ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ट, धारा 194ठ," शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 194क, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट," शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 197क का संशोधन।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 197क में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ग) धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क या धारा 194ङङ या धारा 194ट या इस धारा की उपधारा (1ख) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में से किसी के अधीन कर की कोई कटौती ऐसे किसी निवासी भारतीय व्यष्टि की दशा में नहीं की जाएगी, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु का है और धारा 88ख में निर्दिष्ट अपनी कुल आय पर आय-कर की रकम से कटौती के लिए हकदार है, यदि ऐसा व्यष्टि, यथास्थिति, धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क या धारा 194ङङ या धारा 194ट में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय के संदाय के लिए दायी व्यक्ति को विहित प्ररूप में दो प्रतियों में लिखित रूप में और विहित रीति में सत्यापित इस प्रभाव की एक घोषणा प्रस्तुत कर देता है कि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित की जानी है, उसकी अनुमानित कुल आय पर, कर शून्य होगा । ";

(ख) उपधारा (2) में, "या उपधारा (1क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "या उपधारा (1ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 206 का संशोधन।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं, 1 जून, 2003 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय को या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कैट, मेग्नेटिक कारटिज टेप, सीडी-रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय संचार माध्यम पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर संचार माध्यम कहा गया है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा :

परंतु इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन प्रत्येक कंपनी की दशा में इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर संचार माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात होते हुए भी, कंप्यूटर संचार माध्यम पर फाइल की गई किसी विवरणी को इस धारा और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी समझा जाएगा और वह उसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मूल को पेश करने के और सबूत के बिना मूल की किन्हीं अंतर्वस्तुओं के या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

(4) जहां निर्धारण अधिकारी का यह विचार है कि उपधारा (2) के अधीन परिदत्त की गई या परिदत्त कराई गई विवरणी दोषपूर्ण है वहां वह, यथास्थिति, कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी को दोष के बारे में सूचित कर सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर और ऐसी और अवधि के भीतर जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी, अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, दोष का सुधार करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर दोष को सुधारा नहीं जाता है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी देने में असफल रहा हो ।"।

धारा 206ग का संशोधन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

क्रम सं0	माल की प्रकृति	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
(i)	मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर और तेंदू पत्ते	दस प्रतिशत
(ii)	वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ठ	पंद्रह प्रतिशत
(iii)	वन पट्टे के अधीन से भिन्न किसी धन से अभिप्राप्त काष्ठ	पांच प्रतिशत
(iv)	कोई अन्य वनोत्पाद जो काष्ठ या तेंदू पत्ते नहीं हैं	पंद्रह प्रतिशत
(v)	स्क्रैप	दस प्रतिशत :";

(ख) उपधारा (11) के नीचे स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उपखंड (i) से उपखंड (iii) तक के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, या

(ii) ऐसे विक्रय के अनुसरण में अभिप्राप्त ऐसे माल के आगे विक्रय में कोई क्रेता ;"।

धारा 230 का संशोधन।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 जून, 2003 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसा कोई व्यक्ति,—

(क) जो भारत में अधिवासी नहीं है ;

(ख) जो अपने कारबार, वृत्ति या नियोजन के संबंध में भारत में आया है ; और

(ग) जिसकी भारत में किसी स्रोत से व्युत्पन्न आय है,

भारत का राज्यक्षेत्र भू-मार्ग, जलमार्ग या वायुमार्ग से तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए,—

(i) अपने नियोजक से, या

(ii) ऐसे व्यक्ति से, जिसके माध्यम से ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करता है,

विहित प्ररूप में इस आशय का कोई वचनबंध नहीं दे देता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में अधिवासी नहीं है, संदेय कर खंड (i) में निर्दिष्ट नियोजक या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा और विहित प्राधिकारी वचनबंध की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति को तुरंत भारत छोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देगा :

परंतु उपधारा (1) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो भारत में अधिवासी नहीं है किंतु किसी विदेशी पर्यटक के रूप में या कारबार, वृत्ति या नियोजन से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए भारत में आता है ।

(1क) ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत में अधिवासी है, अपने प्रस्थान के समय आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, विहित प्ररूप में निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,—

(क) धारा 139क के अधीन उसे आबंटित स्थायी खाता संख्यांक :

परंतु यदि ऐसा स्थायी खाता संख्यांक उसे आबंटित नहीं किया गया है या उसकी कुल आय आय-कर से प्रभार्य नहीं है या वह इस अधिनियम के अधीन स्थायी खाता संख्यांक प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ;

(ख) भारत के बाहर से उसके आने का प्रयोजन ;

(ग) भारत के बाहर उसके ठहरने की अनुमानित अवधि :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति,—

(i) जो अपने प्रस्थान के समय भारत में अधिवासी है ; और

(ii) जिसके संबंध में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण आय-कर अधिकारी की राय में इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक है,

भारत का राज्यक्षेत्र भू-मार्ग, जलमार्ग या वायुमार्ग से तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह आय-कर प्राधिकारी से इस बात का कथन करने वाला एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है कि उसका इस अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 या दान-कर अधिनियम, 1958 या व्यय-कर अधिनियम, 1987 के अधीन कोई दायित्व नहीं है या यह कि ऐसे सभी या किसी कर के संदाय के लिए, जो उस व्यक्ति द्वारा संदेय है या संदेय हो सकते हैं, समाधानप्रद इंतजाम कर दिए गए हैं :

1957 का 27
1958 का 18
1987 का 35

परंतु कोई आय-कर प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जो भारत में अधिवासी है, इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना तब तक अनिवार्य नहीं करेगा जब तक कि वह उसके लिए कारण अभिलिखित नहीं करता है और मुख्य आय-कर आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता है ।"।

धारा 234क का संशोधन।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 234क में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 में, "धारा 147 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 147 या धारा 153क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) "धारा 148 के अधीन किसी सूचना द्वारा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 148 या धारा 153क के अधीन किसी सूचना द्वारा" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "धारा 147" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 153क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 234ख का संशोधन।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में, "धारा 147 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 147 या धारा 153क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "धारा 147 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "धारा 147 या धारा 153क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 234घ का अंतःस्थापन।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अधिक प्रतिदाय पर ब्याज।

"234घ. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिदाय निर्धारिती को मंजूर किया जाता है और—

(क) नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है ; या

(ख) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदेय रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय रकम से अधिक है,

वहां निर्धारिती, प्रत्येक मास या प्रतिदाय की मंजूरी की तारीख से ऐसे नियमित निर्धारण की तारीख तक की अवधि में समाविष्ट किसी मास के भाग के लिए इस प्रकार प्रतिदाय की गई संपूर्ण या अधिक रकम पर दो बटा तीन प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) जहां धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश के या धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के किसी आदेश के परिणामस्वरूप धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम, यथास्थिति, पूर्ण रूप में या भागरूप में सही रूप में अनुज्ञात की गई पाई जाती है वहां उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य ब्याज, यदि कोई हो, तदनुसार घटा दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई निर्धारण धारा 147 या धारा 153क के अधीन पहली बार किया जाता है वहां इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण माना जाएगा ।"।

धारा 245ढ का संशोधन।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 245ढ के खंड (क) में,—

(क) उपखंड (ii) में, 1 जून, 2000 से,—

(i) "ऐसे संव्यवहार" शब्दों के पश्चात्, "से व्युत्पन्न किसी अनिवासी के कर दायित्व" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) "किसी अनिवासी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अनिवासी" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां इस खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी निवासी आवेदक द्वारा किसी आवेदन की बाबत प्राधिकारी द्वारा कोई अग्रिम विनिर्णय, उस तारीख, जिसको वित्त विधेयक, 2003 पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, से पहले सुनाया जाता है वहां ऐसा विनिर्णय, जो ऐसी तारीख से ठीक पूर्व था, धारा 245ध में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा ।"।

धारा 246क का संशोधन।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश;"।

धारा 269न का संशोधन।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 269न में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात,—

(i) सरकार से ;

(ii) किसी बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक से ;

(iii) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम से ;

(iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी से ; 1956 का 1

(v) किसी अन्य संस्था, संगम या निकाय या संस्थाओं, संगमों या निकायों के वर्ग से, जो केंद्रीय सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे,

लिए गए या प्राप्त किए गए किसी ऋण या निक्षेप के प्रतिसंदाय को लागू नहीं होगी ।"।

धारा 271ङ का संशोधन।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ की उपधारा (1) में, "निक्षेप" शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "ऋण या निक्षेप" शब्द 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे ।

धारा 275 का संशोधन।

89. आय-कर अधिनियम की धारा 275 की उपधारा (1) में, 1 जून, 2003 से :—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उस दशा में जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 या धारा 246क के अधीन आयुक्त (अपील) को अपील का विषय है और आयुक्त (अपील) ऐसी अपील को निपटाने का 1 जून, 2003 को या उसके पश्चात् आदेश पारित करता है वहां शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई है, जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, समाप्ति से पूर्व या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आयुक्त (अपील) का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है, अंत से एक वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पारित किया जाएगा ;";

(ख) खंड (ख) में, "धारा 263" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 264" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग में, "धारा 148" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 148 या धारा 153क" शब्द, अंक और अक्षर 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे । धारा 276गग का संशोधन।

91. आय-कर अधिनियम की धारा 285ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 285खक का अंतःस्थापन।

"285खक. ऐसा कोई निर्धारिती, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई वित्तीय संव्यवहार करता है, जो विहित किया जाए, किसी पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए ऐसे वित्तीय संव्यवहार की बाबत, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, विहित समय के भीतर जो विहित की जाए, एक वार्षिक सूचना विवरणी देगा ।"। वार्षिक सूचना विवरणी।

92. आय-कर अधिनियम में, बारहवीं अनुसूची के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2004 से निम्नलिखित अनुसूचियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— तेरहवीं और चौदहवीं अनुसूचियों का अंतःस्थापन ।

"तेरहवीं अनुसूची

[धारा 80झग(2) देखिए]

वस्तुओं या चीजों की सूची

भाग क

सिक्किम राज्य के लिए

क्रम सं0	वस्तु या चीज
1.	तम्बाकू और तंबाकू उत्पाद (जिसमें सिगरेट, सिगार और गुटका आदि हैं)
2.	वातित ब्रांडयुक्त सुपेय
3.	प्रदूषण करने वाला कागज और कागज उत्पाद

भाग ख

हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के लिए

क्रम सं0	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज	उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन. आई. सी.) वर्गीकरण 1998 के अधीन उपवर्ग
1.	तम्बाकू और तंबाकू उत्पाद, जिसमें सिगरेट और पान मसाला है	24.01 से 24.04 और 21.06	1600
2.	तापीय विद्युत संयंत्र (कोयला/तेल आधारित)		40102 या 40103
3.	कोयला धोवनशाला/शुष्क कोयला प्रसंस्करण		
4.	अकार्बनिक रसायन जिसमें ओषधीय श्रेणी की आक्सीजन (2804.11), ओषधीय श्रेणी हाइड्रोजन पराक्साइड (2847.11), संपीडित वायु (2851.30) सम्मिलित नहीं हैं	अध्याय 28	
5.	कार्बनिक रसायन जिसमें प्रोविटामिन/विटामिन, हार्मोन (29.36), ग्लुकोसाइड (29.39), चीनी* (29.40) सम्मिलित नहीं हैं	अध्याय 29	24117
6.	चर्मसंस्करण और रंजक निष्कर्ष, टेनिन और उनके व्युत्पन्न, रंजक, रंग, पेंट और वार्निश ; पुटी, भरक और अन्य मस्टिक ; स्याहियां	अध्याय 32	24113 या 24114
7.	मार्बल और खनिज पदार्थ, जो कहीं और वर्गीकृत नहीं है	25.04 25.05	14106 या 14107
8.	फ्लोर मिल/राइस मिल	11.01	15311
9.	गलाईशाला जिसमें कोयले का प्रयोग होता है		
10.	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद ; बिटुमनी पदार्थ : खनिज मोम	अध्याय 27	
11.	संश्लिष्ट रबड़ उत्पाद	40.02	24131
12.	सीमेंट क्लिंकर और कच्चा ऐस्बेस्टास जिसके अंतर्गत फाइबर भी है	2502.10 2503.00	
13.	विस्फोटक (जिसमें औद्योगिक विस्फोटक, डिटोनेटर और फ्यूल्स, आतिशबाजी, दियासलाई, नोदक चूर्ण आदि भी हैं)	36.01 से 36.06	24292
14.	खनिज या रासायनिक उर्वरक	31.02 से 31.05	2412
15.	कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी और नाशक जीवमार (आधारिक विनिर्माण और निर्मिति)	3808.10	24211 या 24219
16.	भग्नकांच और उसकी वस्तुएं	70.14	26102
17.	लुगदी-काष्ठ लुगदी का विनिर्माण, यांत्रिक या रासायनिक रूप से (जिसमें विघटन लुगदी भी है)	47.01	21011
18.	ब्रांडयुक्त वातित जल/मृदु पेय (गैर-फल आधारित)	2201.20 2202.20	15541 या 15542
19.	कागज लेखन या मुद्रण कागज आदि कागज या पेपरबोर्ड आदि मेपलिथो कागज आदि अखबारी कागज, रोलों में या शीटों में	4801 4802.10 4802.20 4802.30 4801.00	21011 से 21019

क्रम सं0	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज	उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन. आई. सी.) वर्गीकरण 1998 के अधीन उपवर्ग
	क्राफ्ट पेपर, आदि	4804.10	
	स्वच्छता तौलिए, आदि	4818.10	
	सिगरेट का कागज	48.13	
	चिकनाई रोधी कागज	4806.10	
	शौच या आनन उत्तक, आदि	4803	
	कागज और पेपरबोर्ड, बिटुमनी तार या अस्फाल्ट के साथ		
	आंतरिक रूप से पटलित	4807.10	
	कार्बन या वैसे ही प्रतिलिपन कागज	4809.10	
	प्लास्टिक आदि से विलेपित, संसेचित या आच्छादित कागज		
	या पेपरबोर्ड वाले उत्पाद	4811.20	
	मोम आदि से संसेचित, विलेपित या आच्छादित कागज और पेपरबोर्ड	4811.40	
20.	प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं	39.09 से 39.15	

* क्रम संख्या 5 : संश्लेषण द्वारा पुनरुत्पादन अनुज्ञात नहीं है जैसा चीनी के लिए अनुप्रवाह उद्योगों में भी है।

चौदहवीं अनुसूची

[धारा 80झग(2) देखिए]

वस्तुओं या चीजों या संक्रियाओं की सूची

भाग क

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए

1. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले फल और वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग
   - (i) डिब्बाबंद या बोतलबंद उत्पाद ;
   - (ii) वातित पैकेज उत्पाद;
   - (iii) हिमशीतित उत्पाद;
   - (iv) गैर जलीकृत उत्पाद ;
   - (v) आलियोरेजिन ।
2. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले मांस और कुक्कुट उत्पाद उद्योग
   - (i) मांस उत्पाद (भैंस, भेड़, बकरी और सूअर);
   - (ii) कुक्कुट उत्पादन;
   - (iii) अंडा चूर्ण संयंत्र ।
3. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले अनाज आधारित उत्पाद उद्योग
   - (i) मक्का पेषण जिसमें स्टार्च और उसके व्युत्पन्न भी हैं;
   - (ii) ब्रेड, बिस्कुट, जलपान अनाज ।
4. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले खाद्य और पेय उद्योग
   - (i) स्नैक ;
   - (ii) गैर एल्कोहाली सुपेय;
   - (iii) मिष्ठान जिसमें चाकलेट भी है;
   - (iv) पस्टा उत्पाद ;
   - (v) प्रसंस्कृत मसाले आदि ;
   - (vi) प्रसंस्कृत दालें ;
   - (vii) टेपिओका उत्पाद ।
5. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले दुग्ध और दुग्ध आधारित उत्पाद उद्योग
   - (i) दुग्ध चूर्ण ;
   - (ii) पनीर ;
   - (iii) मक्खन/घी;
   - (iv) शिशु आहार ;
   - (v) छोटे बच्चों का आहार ;
   - (vi) माल्टित दुग्ध आहार ।

6. खाद्य पैकेजिंग उद्योग ।
7. कागज उत्पाद उद्योग ।
8. जूट और मिस्टा उत्पाद उद्योग ।
9. पशु या कुक्कुट या मछली खाद्य उत्पाद उद्योग ।
10. खाद्य तेल प्रसंस्करण या वनस्पति उद्योग ।
11. आवश्यक तेलों का प्रसंस्करण और सुगंधी उद्योग ।
12. पौध रोपण फसलें, चाय, रबड़, काफी, नारियल आदि का प्रसंस्करण और संवर्धन ।
13. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले गैस आधारित मध्यवर्ती उत्पाद उद्योग,—
    (i) गैस खोज और उत्पादन ;
    (ii) गैस वितरण और भरण ;
    (iii) विद्युत उत्पादन ;
    (iv) प्लास्टिक ;
    (v) सूत की कच्ची सामग्री ;
    (vi) उर्वरक ;
    (vii) मेथनॉल ;
    (viii) फारमलडिहाइड और एफआर रेजिन मिलेमिन और एमएफ रेजिन ;
    (ix) मिथाइलेमिन, हैक्सामिथाइलिन, टेट्रामिन, अमोनियम बाईकार्बोनेट ;
    (x) नाइट्रिक अम्ल और अमोनियम नाइट्रेट ;
    (xi) कार्बन ब्लैक ;
    (xii) पालिमर चिप्स ।
14. कृषि वनोत्पाद आधारित उद्योग ।
15. उद्यान कृषि उद्योग ।
16. खनिज आधारित उद्योग ।
17. पुष्पकृषि उद्योग ।
18. कृषि आधारित उद्योग ।

भाग ख

सिक्किम राज्य के लिए

क्रम सं0	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज या संक्रिया
1.	पारिस्थितिक पर्यटन, जिसमें होटल भी हैं, रिजॉर्ट, स्पा, मनोरंजन पार्क और रज्जू मार्ग ।
2.	हस्तशिल्प और हथकरघा ।
3.	ऊन और रेशम रीलिंग, बुनाई और प्रसंस्करण, छपाई आदि ।
4.	पुष्पकृषि ।
5.	यथार्थता इंजीनियरी, जिसमें घड़ी निर्माण भी है ।
6.	इलैक्ट्रानिकी जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी (सू. प्रौ.) संबंधित उद्योग भी हैं ।
7.	खाद्य प्रसंस्करण जिसमें कृषि आधारित उद्योग, फलों और वनस्पतियों का प्रसंस्करण, परीरक्षण और पैकेजिंग भी है (जिसमें पारंपरिक संदलन/निष्कर्षण यूनिट नहीं हैं) ।
8.	ओषधीय और ऐरोमेटिक साख-रोपण और प्रसंस्करण ।
9.	बागान फसलें जैसे चाय, नारंगी और इलायची का संवर्धन और प्रसंस्करण ।
10.	खनिज आधारित उद्योग ।
11.	भेषजीय उत्पाद ।
12.	शहद ।
13.	जैव प्रौद्योगिकी ।

भाग ग

हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के लिए

क्रम सं0	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज या संक्रिया	4/6 अंक उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन. आई. सी.) वर्गीकरण के अधीन उपवर्ग 1998	आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 4/6 अंक
1.	पुष्पकृषि	-	-	0603 या 06120 या 06029020 या 06024000
2.	ओषधीय साख या ऐरोमेटिक साख आदि, प्रसंस्करण	-	-	-
3.	शहद	-	-	040900
4.	कृषि उद्यान और कृषि आधारित उद्योग जैसे			
	(क) सासेज, केचप आदि	21.03	15135 से 15137 और 15139	
	(ख) फल रस और फल लुगदी	2202.40		
	(ग) जैम, जेली, वनस्पति रस, प्यूरी, आचार आदि	20.01		
	(घ) परिरक्षित फल और वनस्पतियां			
	(ङ) ताजे फलों और वनस्पतियों का प्रसंस्करण जिसमें पैकेजिंग भी है			
	(च) छत्रकों का प्रसंस्करण, परीक्षण, पैंकेजिंग			
5.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें तेरहवीं अनुसूची में सम्मिलित उद्योग नहीं हैं	19.01 से 19.04		
6.	चीनी और उसके उपोत्पाद	-	-	17019100
7.	रेशम और रेशम उत्पाद	50.04 50.05	17116	
8.	ऊन और ऊन उत्पाद	51.01 से 51.12	17117	
9.	व्यूतित फैब्रिक (उत्पाद-शुल्क्य परिधान)	-	-	6101 से 6117
10.	साधारण शारीरिक व्यायाम के लिए खेलकूद का सामान, वस्तुएं तथा उपस्कर और रोमांचक खेलकूद/क्रियाकलापों, पयर्टन के लिए उपस्कर (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं)	9506.00		
11.	कागज और कागज उत्पाद जिसमें वे उत्पाद सम्मिलित नहीं हैं जो नकारात्मक सूची में हैं (उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण के अनुसार)			
12.	भेषजीय उत्पाद	30.03 से 30.05		
13.	सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, कंप्यूटर हार्डवेयर, काल सेंटर	84.71	30006/7	
14.	खनिज जल का भरण	2201		
15.	पारिस्थितिक पर्यटन जिसके अंतर्गत होटल, रिजॉर्ट, स्पा, मनोरंजन पार्क और रज्जू मार्ग भी हैं	-	55101	
16.	औद्योगिक गैसें (वातावरणीय भिन्न पर आधारित)			
17.	हस्तशिल्प			
18.	गैर-इमारती वन उत्पाद आधारित उद्योग" ।			

धन-कर

1957 के अधिनियम 27 की धारा 17 का संशोधन।

93. धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 17 की उपधारा (1) में, "तीस दिन से अन्यून" शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

दान-कर

1958 के अधिनियम 18 की धारा 16 का संशोधन।

94. दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (1) में, "तीस दिन से अन्यून" शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

व्यय कर

धारा 3 का संशोधन। **95.** व्यय कर अधिनियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (1) में, "किसी ऐसे होटल में उपगत" शब्दों के स्थान पर, "किसी ऐसे होटल में 1 जून, 2003 से पूर्व उपगत" शब्द और अंक 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे । 55 1987 का 35

धारा 4 का संशोधन। **96.** व्यय कर अधिनियम की धारा 4 के खंड (क) में, "इस अधिनियम के प्रारंभ से ही" शब्दों के पश्चात्, "किंतु 31 मई, 2003 के पश्चात् नहीं" शब्द और अंक 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

97. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है), धारा 2 के खंड (1ख) में, "स्वर्ण (नियंत्रण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "सेवा-कर" शब्द रखे जाएंगे । धारा 2 का संशोधन ।

98. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा,— धारा 7, आदि का संशोधन ।

(क) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार शब्दों" के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा;

(ख) इस प्रकार सख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रखा जाएगी, अर्थात् :—

(2) "इस धारा के अधीन जारी की गई और वित्त अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक अधिसूचना, ऐसे प्रारंभ पर, वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 98 द्वारा यथासंशोधित इस धारा के उपबंधों के अधीन जारी की गई समझी जाएगी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन संशोधन, विखंडन या निलंबन तक उसी तरह प्रवृत्त और प्रभावी बनी रहेगी ।"।

99. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "जिसको माल भाण्डागार से वास्तव में हटाए जाते हैं" शब्दों के स्थान पर, "जिसको ऐसे माल के बारे में उस धारा के अधीन देशी उपभोग के लिए प्रवेश का बिल पेश किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे । धारा 15 का संशोधन।

100. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 में,— धारा 25 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे माल पर, जिस पर शुल्क उद्ग्रहणीय है, ऐसी आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जिनका उल्लेख ऐसे आदेश में किया जाएगा, शुल्क के संदाय से छूट दे सकेगी ।";

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, शुल्क का संग्रहण तब नहीं किया जाएगा जब उदग्रहणीय शुल्क की रकम एक सौ रुपए के बराबर या उससे कम है ।"।

101. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के पहले परंतुक के खंड (क) में, "आयातकर्ता" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे । धारा 27 का संशोधन।

102. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जा एगा । धारा 28 का संशोधन।

103. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ङ में,— धारा 28ङ का संशोधन।

(क) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) आवेदक से,—

(i) ऐसा अनिवासी, जो किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(ii) कोई निवासी, जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(iii) पूर्ण स्वामित्व वाली ऐसी समनुषंगी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी विदेशी कंपनी है,

अभिप्रेत है, जो भारत में कारबार के क्रियाकलाप का प्रस्ताव करता है और धारा 28ज की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन करता है ;';

(ख) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1961 का 43

'(ज) "अनिवासी", "भारतीय कंपनी" और "विदेशी कंपनी" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (30), (26) और (23क) में क्रमशः उनका हैं ।'।

104. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 28ज का संशोधन।

1975 का 51

"(घ) इस अधिनियम, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन किन्हीं शुल्कों की बाबत राजपत्र में जारी की गई अधिसूचनाओं का लागू होना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी शुल्क का उसी रीति में प्रभार्य होना, जैसे इस अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क उद्ग्रहणीय है ।"।

105. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 30 का संशोधन।

"(1) किसी ऐसे,—

(i) जलयान ; या

(ii) वायुयान ; या

(iii) यान,

का भारसाधक व्यक्ति, जिसमें आयातित माल या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को वहन किया जा रहा है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे, किसी जलयान या वायुयान की दशा में, सीमाशुल्क स्टेशन में, यथा स्थिति, जलयान या वायुयान के पहुंचने से पूर्व, उचित प्राधिकारी को एक आयात सूची और किसी यान की दशा में, सीमाशुल्क स्टेशन में उसके पहुंचने के पश्चात् बारह घंटे के भीतर विहित प्ररूप में, आयात रिपोर्ट देगा और यदि आयात सूची या आयात रिपोर्ट या उसका कोई भाग, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उचित अधिकारी को नहीं दिया जाता है और यदि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए पर्याप्त कारण नहीं था तो इस उपधारा में निर्दिष्ट भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जिसने ऐसा विलंब किया है, पचास हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा ।"।

धारा 61 का संशोधन।

106. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम में उपयोग के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न माल की दशा में, तीन वर्ष के अवसान तक ; और";

(iii) परंतुक के खंड (i) में, " खंड (क) या खंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, " खंड (क) या खंड (कक) या खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (i) में, " उपखंड (क)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, " उपखंड (क) या उपखंड (कक)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) में, " तीस दिन" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "नब्बे दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 68 का संशोधन।

107. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 68 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी भाण्डागारित माल का स्वामी, ऐसे माल की बाबत देशीय उपभोग के लिए माल की निकासी के संबंध में कोई आदेश किए जाने से पूर्व किसी समय, ऐसे भाटक, ब्याज, अन्य प्रभारों और शास्तियों के संदाय पर, जो माल की बाबत संदेय हों, माल पर अपने हक का त्याग कर सकेगा और ऐसे त्याग पर वह उस पर शुल्क का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।"।

धारा 75क का संशोधन।

108. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75क की उपधारा (1) में,—

(क) "दो मास" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "एक मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 113 का संशोधन।

109. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 113 में,—

(क) खंड (ग), (ङ), (च), (छ) और (ज) में, "शुल्क्य या प्रतिषिद्ध" शब्दों का, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) निर्यात के लिए प्रविष्ट कोई माल, जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि के मूल्य के बारे में या किसी तात्त्विक विशिष्टि में या यात्री सामान की दशा में धारा 77 के अधीन की गई घोषणा के समान नहीं है ।";

(ग) खंड (ट) में, "वापसी के किसी दावे के अधीन" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 114 का संशोधन।

110. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114 में,—

(क) खंड (i) में, "जो ऐसे माल के मूल्य से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो निर्यातकर्ता द्वारा घोषित किए गए माल के मूल्य के तीन गुणा से अनधिक या इस अधिनियम के अधीन यथा-अवधारित मूल्य की होगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) किसी अन्य माल की दशा में, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो निर्यातकर्ता द्वारा घोषित किए गए माल के मूल्य से अनधिक होगी या इस अधिनियम के अधीन अवधारित मूल्य की होगी, इनमें से जो भी अधिक हो ।"।

धारा 122 का संशोधन।

111. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 122 में,—

(क) खंड (ख) में, "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) में, "ढाई हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 129 का संशोधन।

112. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129 में,—

(क) उपधारा (1) में, "स्वर्ण (नियंत्रण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "सेवा-कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "केंद्रीय विधि सेवा" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय विधि सेवा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4क) का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (5) में, "ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "कोई उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 130 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

113. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

उच्च न्यायालय को अपील ।

"130. (1) 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश से (जो अन्य बातों के साथ, निर्धारण के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंध रखने वाले किसी प्रश्न के अवधारण से संबंधित आदेश नहीं है) अपील उच्च न्यायालय को होगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ।

(2) सीमाशुल्क आयुक्त या अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित अन्य पक्षकार, उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा और इस उपधारा के अधीन ऐसी अपील—

(क) उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सीमाशुल्क आयुक्त या अन्य पक्षकार को प्राप्त होता है, एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल की जाएगी ;

(ख) जहां ऐसी अपील अन्य पक्षकार द्वारा फाइल की जाती है वहां उसके साथ दो सौ रुपए की फीस होगी ;

(ग) अपील के ज्ञापन के रूप में होगी जिसमें अंतर्वलित विधि के सारवान् प्रश्न का सही-सही कथन होगा ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को निश्चित करेगा ।

(4) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार निश्चित प्रश्न पर ही की जाएगी और प्रत्यर्थियों को अपील की सुनवाई पर यह तर्क देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात न्यायालय द्वारा निश्चित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर अपील की, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, न्यायालय की सुनवाई करने की शक्ति को समाप्त या कम करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(5) उच्च न्यायालय, इस प्रकार निश्चित प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर निर्णय देगा जिसमें वे आधार होंगे, जिन पर निर्णय आधारित है और ऐसा खर्च भी दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) उच्च न्यायालय, ऐसे किसी भी विवाद्यक का अवधारण कर सकेगा,—

(क) जिसे अपील अधिकरण द्वारा अवधारित नहीं किया गया है ; या

(ख) जिसे विधि के ऐसे प्रश्न पर, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, किसी विनिश्चय के कारण अपील अधिकरण द्वारा गलत अवधारित किया गया है ।

(7) जब कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की जाती है तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों या ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत, यदि कोई हो, की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(8) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहां न्यायाधीश, विधि के उस प्रश्न का उल्लेख करेंगे, जिस पर उनमें मतभेद हैं और तब मामले की उस प्रश्न पर सुनवाई केवल उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी और ऐसे प्रश्न का विनिश्चय उनके सहित, जिन्होंने प्रथमतः उसकी सुनवाई की थी, उन न्यायाधीशों के, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपीलों की दशा में लागू होंगे ।"।

1908 का 5

114. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130क की उपधारा (1) में, "1 जुलाई, 1999 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 जुलाई, 2003 से पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 130क का संशोधन।

115. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130घ में,— धारा 130घ का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

" (1क) जहां उच्च न्यायालय धारा 130 के अधीन, उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील में निर्णय देता है वहां निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर उचित अधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश को प्रभावी किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (2) में, " उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निर्देश" शब्दों के स्थान पर, " उच्च न्यायालय को निर्देश या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अपील" शब्द रखे जाएंगे ।

116. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130ङ में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 130ङ का संशोधन।

" (क) किसी मामले में,—

(i) धारा 130 के अधीन की गई अपील में; या

(ii) 1 जुलाई, 2003 से पूर्व अपील अधिकरण द्वारा धारा 130 के अधीन किए गए निर्देश पर; या

(iii) धारा 130क के अधीन किए गए निर्देश पर,

दिए गए उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, जिसे उच्च न्यायालय, स्वप्रेरणा से या निर्णय के पारित किए जाने के ठीक पश्चात् व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी मौखिक आवेदन पर, उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए ठीक मामले के रूप में प्रमाणित करता है ; या" ।

117. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) में,— धारा 135 का संशोधन।

(क) खंड (क) में, "किसी प्रतिषेध के" शब्दों के पश्चात्, "मूल्य की गलत घोषणा या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "धारा 111 के अधीन" शब्दों और अंकों से प्रारंभ होने वाले और "व्यवहार करेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 111 या धारा 113 के अधीन अधिहरण के दायी हैं, कब्जा प्राप्त करेगा या उनके वहन, हटाने, निक्षेप करने, संश्रय देने, रखने, छिपाने, विक्रय या क्रय करने में किसी भी प्रकार संबंध रखेगा या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करेगा, या" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) ऐसे किसी माल का निर्यात करने का प्रयास करता है जिनके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी हैं, "।

118. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 136 की उपधारा (1) में, "किसी कार्य या बात को जिसके द्वारा" शब्दों के पश्चात्, ", किसी कार्य या बात को जिसके द्वारा कोई कपटपूर्ण निर्यात किया जाता है या" शब्द रखे जाएंगे । धारा 136का संशोधन।

119. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 465 (अ) तारीख 3 मई, 1990 और सा.का.नि. 423 (अ) तारीख 20 अप्रैल, 1992, दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (4) में सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का संशोधन।

उल्लिखित तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएंगी और संशोधित हुई समझी जाएंगी तथा तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह विधिमान्य और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है या सदैव की गई थी मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थीं ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी या होनी समझी जाएगी मानो सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई निर्यात संवर्धन स्कीमों से संबंधित अधिसूचनाओं का संशोधन।

120. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 308(अ), तारीख 31 मार्च, 1995, सा.का.नि. 309(अ), तारीख 31 मार्च, 1995, सा.का.नि. 480(अ), तारीख 5 जून, 1995, सा.का.नि. 657(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1995, सा.का.नि. 658(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1995, सा.का.नि. 184(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997, सा.का.नि 186(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 187(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 197(अ), तारीख 7 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 216(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 623(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 1998, सा.का.नि. 299(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1999, सा.का.नि. 366(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000 और सा.का.नि. 367(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000, तीसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएंगी और संशोधित की गई समझी जाएंगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई है मानो इस उपधारा द्वारा यथसंशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही हों ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी या होनी समझी जाएगी मानो सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

(3) ब्याज की ऐसी सभी रकमों का, जो, यथास्थिति, संदत्त कर दी गई हैं या जिनका प्रतिदाय नहीं किया गया है, किन्तु जो, यथास्थिति, इस प्रकार संदत्त नहीं की गई होती या जो प्रतिदाय नहीं की गई होती यदि इस धारा के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में नहीं होते, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर प्रतिदाय किया जाएगा और इस उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 के उपबंध ऐसे प्रतिदाय के संबंध में लागू होंगे ।

अतिरिक्त सीमाशुल्क (चाय और चाय अपशिष्ट) ।

121. (1) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में आयातित माल हैं, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर संघ के प्रयोजनों के लिए उपकर द्वारा अतिरिक्त सीमाशुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य अतिरिक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत शुल्क के प्रतिदाय और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उस अधिनियम या उन नियमों और विनियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 का संशोधन।

122. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में, उपधारा (2) के खंड (ii) में, "किंतु उसके अंतर्गत उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क नहीं, है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, 1975 का 51

"किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(क) धारा 3क में निर्दिष्ट विशेष अतिरिक्त शुल्क;

(ख) धारा 8ख और 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क;

(ग) धारा 9 में निर्दिष्ट प्रति शुल्क ;

(घ) धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क; और

(ङ) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क,"

शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और भूतलक्षी रूप से, 1 मार्च, 2002 से ही रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 3क का संशोधन।

123. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के खंड (ii) में, "किंतु उसके अंतर्गत उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशेष अतिरिक्त शुल्क नहीं है, और" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर,

"किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(क) धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क;

(ख) धारा 9 में निर्दिष्ट प्रति शुल्क;

(ग) धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क;

(घ) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशेष अतिरिक्त शुल्क; और"

शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और भूतलक्षी रूप से,1 मार्च, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे।"।

धारा 9क का संशोधन।

124. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) के मद (क) में "या राज्यक्षेत्र अथवा किसी समुचित तीसरे देश से" शब्दों के स्थान पर, "से किसी समुचित तीसरे देश के राज्यक्षेत्र को" शब्द रखे जाएंगे।

125. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ग में, उपधारा (1) में, "स्वर्ण (नियंत्रण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "सेवा-कर" शब्द रखे जाएंगे । धारा 9ग का संशोधन।

2001 का 14

126. (1) तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथा संशोधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में आयातित माल है, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता सीमाशुल्क नाम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीय आपदा सीमाशुल्क कहा गया है) सीमाशुल्क तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथासंशोधित उक्त सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा । राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता सीमा शुल्क।

2001 का 14

(2) तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर प्रभार्य राष्ट्रीय आपदा सीमाशुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगा ।

2001 का 14

(3) तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर, इस धारा के अधीन राष्ट्रीय आपदा सीमाशुल्क के परिकलन के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा शुल्क उसके मूल्य के किसी प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय है, वहां ऐसे माल का मूल्य उसी रीति में परिकलित किया जाएगा जैसे अतिरिक्त शुल्क के प्रयोजनों के लिए वस्तु के मूल्य को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन परिकलित किया जाता है ।

2001 का 14

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत शुल्क के प्रतिदाय और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, तेरहवीं अनुसूची द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत जहां तक हो सके इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उस अधिनियम या उन नियमों और विनियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

2001 का 14

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 161 के निबंधनानुसार, वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में किए गए संशोधनों के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति पर, यदि ऐसा संशोधन नहीं होता तो उसी प्रकार प्रवृत्त बने रहते, मानो उक्त संशोधन नहीं किए गए हों।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

127. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (कक) में, " स्वर्ण (नियंत्रण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर " सेवा-कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (च) के उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में किसी यूनिट आधान में ऐसे माल की पैकिंग या पुनर्पैकिंग, आधानों पर लेबल लगाने या पुनर्लेबल लगाने के लिए, जिसके अन्तर्गत आधान पर फुटकर विक्रय कीमत की घोषणा या उस पर फुटकर विक्रय कीमत का परिवर्तन या उपभोक्ता के लिए उत्पाद को विपणनीय बनाने के लिए कोई अन्य उपचार अपनाना भी है।" ।

128. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा विक्रीत उत्पाद-शुल्क्य माल का कीमत-सह शुल्क वह कीमत होगी जो विक्रीत माल के लिए उसको वास्तव में संदत्त की गई है और ऐसे माल के विक्रय के संबंध में क्रेता से निर्धारिती को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरित किए जाने वाले अतिरिक्त प्रतिफल का, यदि कोई है, धन मूल्य होगा और ऐसे कीमत-सह शुल्क में, जिसके अंतर्गत विक्रय कर और अन्य कर, यदि वास्तव में संदत्त किए गए हैं, नहीं हैं, ऐसे माल के विक्रय के संबंध में संदेय शुल्क भी सम्मिलित होना समझा जाएगा।";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ग) में,—

(अ) उपखंड (ii) में, "शुल्क के संदाय," शब्दों के स्थान पर "शुल्क के संदाय;" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) कोई डिपो, पारेषण अभिकर्ता का परिसर या कोई अन्य स्थान या ऐसा परिसर जिसमें उत्पाद-शुल्क्य माल, उनकी कारखाने से निकासी के पश्चात् विक्रय किए जाने हैं ।";

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गग) खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट हटाने के स्थान से हटाए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की बाबत "हटाने का समय" वह समय समझा जाएगा जिस पर ऐसा माल कारखाने से निकासी किया गया था ;' ।

129. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 4क का संशोधन।

'(4) जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई माल उत्पाद-शुल्क्य माल है और विनिर्माता—

(क) पैकेजों पर ऐसे माल की फुटकर विक्रय कीमत की घोषणा किए बिना ऐसे माल को विनिर्माण के स्थल से हटाता है या ऐसी विक्रय कीमत घोषित करता है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों या अन्य विधि के उपबंधों के अधीन घोषित किए जाने के लिए अपेक्षित फुटकर विक्रय कीमत नहीं है ; या

(ख) विनिर्माण के स्थान से उनके हटाए जाने के पश्चात् ऐसे माल के पैकेजों पर घोषित फुटकर विक्रय कीमत में गड़बड़ी करने के साथ उसे मिटा देता है या उसमें परिवर्तन करता है,

तो ऐसा माल अधिहरण के लिए दायी होगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसे माल की फुटकर विक्रय कीमत विहित रीति में अभिनिश्चित कर सकेगी और इस प्रकार अभिनिश्चित की गई फुटकर विक्रय कीमत इस धारा के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय कीमत समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण 1 — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "फुटकर विक्रय कीमत" से वह अधिकतम कीमत अभिप्रेत है, जिस पर पैकेज बंद रूप में उत्पाद-शुल्क्य माल अंतिम उपभोक्ता को बेचा जा सकता है और उसके अंतर्गत सभी कर, स्थानीय या अन्यथा,

भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यवहारी को संदेय कमीशन और विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण और इसी प्रकार के सभी प्रभार होंगे तथा कीमत ऐसे विक्रय के लिए एकमात्र प्रतिफल है :

परंतु यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों या अन्य विधि के उपबंधों में किसी कर, स्थानीय या अन्यथा को छोड़कर फुटकर विक्रय कीमत की पैकेज पर घोषणा करने की अपेक्षा की गई है वहां फुटकर विक्रय कीमत का इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) जहां किसी उत्पाद-शुल्क्य माल के पैकेज पर एक से अधिक फुटकर विक्रय कीमत घोषित की जाती है, वहां ऐसी अधिकतम फुटकर विक्रय कीमत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह फुटकर विक्रय कीमत है ;

(ख) जहां किसी उत्पाद-शुल्क्य माल के पैकेज पर विनिर्माण के स्थान से निकासी के समय घोषित फुटकर विक्रय कीमत में फुटकर विक्रय कीमत को बढ़ाने के लिए परिवर्तन किया जाता है वहां ऐसी परिवर्तित फुटकर विक्रय कीमत को फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा ;

(ग) जहां विभिन्न क्षेत्रों में, पैकेज किए गए रूप में किसी उत्पाद-शुल्क्य माल के विक्रय के लिए भिन्न-भिन्न पैकेजों पर भिन्न- भिन्न फुटकर विक्रय कीमतें घोषित की जाती हैं वहां ऐसी प्रत्येक फुटकर विक्रय कीमत, उस क्षेत्र में जिससे फुटकर विक्रय कीमत संबंधित है, विक्रय किए जाने के लिए आशयित उत्पाद-शुल्क्य माल के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय कीमत होगी। ' ।

धारा 5क का संशोधन।

130. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 5क की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित की जाने वाली आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन रहते हुए, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जिस पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट दे सकेगी । " ।

धारा 11क का संशोधन।

131. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में,—

(क) उपधारा (1) में, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2ख) में, "शुल्क की रकम का संदाय" शब्दों के पश्चात्, " ऐसे शुल्क के अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर या अन्यथा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 11घघ का अंतःस्थापन।

132. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

शुल्क से अधिक संगृहीत रकमों पर ब्याज।

"11घघ. (1) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर, ऐसे माल के क्रेता से निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक रकम संगृहीत किया गया है और संदाय किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति, जो धारा 11घ की उपधारा (3) के अधीन अवधारित की गई ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी है, उस रकम के अतिरिक्त दस प्रतिशत से अन्यून किन्तु छत्तीस प्रतिशत से अनधिक वार्षिक की दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय नियत किया गया है, उस मास के, जिसमें धारा 11घ की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के अधीन रकम संदत्त की जानी चाहिए थी, आगामी मास के पहले दिन से, ऐसी रकम के संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा :

परंतु ऐसे मामलों में जहां रकम धारा 37ख के अधीन बोर्ड द्वारा किसी आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने के कारण संदेय हो जाती है और ऐसी संदेय रकम का, किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम में ऐसे संदाय के विरुद्ध अपील करने के किसी अधिकार को सुरक्षित रखे बिना, यथास्थिति, ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर स्वैच्छया संदाय कर दिया जाता है वहां कोई ब्याज संदेय नहीं होगा और अन्य मामलों में संपूर्ण रकम पर, जिसके अंतर्गत पहले से संदत्त रकम भी है , ब्याज संदेय होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां रकम उस तारीख को संदेय हो गई थी या संदत्त की जानी चाहिए थी, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

स्पष्टीकरण 1 — जहां धारा 11घ की उपधारा (3) के अधीन अवधारित रकम को, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा कम कर दिया जाता है वहां उपधारा (1) के अधीन संदेय ब्याज ऐसी कम की गई रकम पर होगा ।

स्पष्टीकरण 2 — जहां धारा 11घ की उपधारा (3) के अधीन अवधारित रकम को, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा बढ़ाया या और बढ़ा दिया जाता है वहां उपधारा (1) के अधीन संदेय ब्याज ऐसी बढ़ाई या और बढ़ाई गई रकम पर होगा । " ।

धारा 13 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

133. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

गिरफ्तार करने की शक्ति।

"13. कोई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय है ।" ।

धारा 23क का संशोधन।

134. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क में,—

(क) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) आवेदक से,—

(i) ऐसा अनिवासी जो किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ii) कोई निवासी जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(iii) पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी विदेशी कंपनी है,

अभिप्रेत है, जो भारत में कारबार के क्रियाकलाप का प्रस्ताव करता है और अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन करता है ;';

(ख) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(च) " अनिवासी", " भारतीय कंपनी" और " विदेशी कंपनी" के वही अर्थ हैं जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (30), (26) और (23क) में क्रमशः उनके हैं । '। 1961 का 43

135. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— धारा 23ग का संशोधन।

1986 का 5

" (घ) इस अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अधीन उत्पाद-शुल्क की बाबत राजपत्र में जारी अधिसूचना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क का उसी रीति से लागू होना जिस प्रकार इस अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क उद्गृहणीय है ;

(ङ) उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त माल पर संदत्त या संदत्त किए गए समझे गए उत्पाद-शुल्क के प्रत्यय की ग्राह्यता । " ।

136. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35छ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 35छ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

" 35छ.(1) 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश से (जो अन्य बातों के साथ, निर्धारण के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंध रखने वाले किसी प्रश्न के अवधारण से संबंधित आदेश नहीं है) अपील उच्च न्यायालय को होगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है । उच्च न्यायालय को अपील।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित अन्य पक्षकार, उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा और इस उपधारा के अधीन ऐसी अपील—

(क) उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या अन्य पक्षकार को प्राप्त होता है, एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल की जाएगी ;

(ख) जहां ऐसी अपील अन्य पक्षकार द्वारा फाइल की जाती है वहां उसके साथ दो सौ रुपए की फीस होगी ;

(ग) अपील के ज्ञापन के रूप में होगी जिसमें अंतर्वलित विधि के सारवान् प्रश्न का सही-सही कथन होगा ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को निश्चित करेगा ।

(4) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार निश्चित प्रश्न पर ही की जाएगी और प्रत्यर्थियों को अपील की सुनवाई पर यह तर्क देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात न्यायालय द्वारा निश्चित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर अपील की, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, न्यायालय की सुनवाई करने की शक्ति को समाप्त या कम करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(5) उच्च न्यायालय, इस प्रकार निश्चित प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर ऐसे आधारों वाला ऐसा निर्णय देगा जिस पर निर्णय आधारित है और ऐसा खर्च भी दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) उच्च न्यायालय, ऐसे किसी भी विवाद्यक का अवधारण कर सकेगा,—

(क) जिसे अपील अधिकरण द्वारा अवधारित नहीं किया गया है ; या

(ख) जिसे विधि के ऐसे प्रश्न पर, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, किसी विनिश्चय के कारण अपील अधिकरण द्वारा गलत अवधारित किया गया है ।

(7) जब कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की जाती है तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों या ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत, यदि कोई हो, की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(8) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहां न्यायाधीश, विधि के उस प्रश्न का उल्लेख करेंगे, जिस पर उनमें मतभेद हैं और तब मामले की उस प्रश्न पर सुनवाई केवल उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी और ऐसे प्रश्न का विनिश्चय उनके सहित, जिन्होंने प्रथमतः उसकी सुनवाई की थी, उन न्यायाधीशों के, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता,

1908 का 5

1908 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपीलों के मामले में लागू होंगे ।"।

137. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ज की उपधारा (1) में, "1 जुलाई, 1999 के पश्चात्" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जुलाई, 2003 के पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 35ज का संशोधन।

138. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ट में,— धारा 35ट का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

" (1क) जहां उच्च न्यायालय धारा 35छ के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील में कोई निर्णय देता है वहां निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर संबंधित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश को प्रभावी किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (2) में, " उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निर्देश" शब्दों के स्थान पर, " उच्च न्यायालय को निर्देश या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अपील" शब्द रखे जाएंगे ।

139. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ठ में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 35ठ का संशोधन।

"(क) किसी मामले में,—

(i) धारा 35छ के अधीन की गई अपील में; या

(ii) 1 जुलाई, 2003 से पूर्व अपील अधिकरण द्वारा धारा 35छ के अधीन किए गए निर्देश पर ; या

(iii) धारा 35ज के अधीन किए गए किसी निर्देश पर,

दिए गए उच्च न्यायालय के किसी निर्णय जिसे उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से या निर्णय के पारित किए जाने के ठीक पश्चात् व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी मौखिक आवेदन पर उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए ठीक मामले के रूप में प्रमाणित करता है; या" ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में नई अनुसूची का अंतःस्थापन ।

140. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की दूसरी अनुसूची के पश्चात् पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 57द का संशोधन।

141. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द में, —

(क) भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 324 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1996 द्वारा यथा संशोधित उपनियम (5); और

(ख) भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 122 (अ), तारीख 1 मार्च, 1997 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1997 द्वारा यथा अंतःस्थापित उपनियम (8),

छठी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में और उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट उक्त प्रत्येक उपनियम के सामने उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही, उस तारीख तक जिसको वे नियम अधिक्रांत किए गए थे, भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएंगे और संशोधित हुए समझे जाएंगे और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार संशोधित उक्त उपनियमों के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा संशोधित उपनियम सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रांत होते हुए भी, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और ऐसी शक्ति होना मानी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति रही हो ।

(3) ऐसे सभी विनिर्दिष्ट शुल्कों को जिन्हें अननुज्ञात किया गया है किन्तु जिन्हें अननुज्ञात नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होता, के संबंध में प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) सभी ऐसे विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किए गए हैं, किन्तु संगृहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होता ।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन पूंजी माल पर संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट शुल्क" का वही अर्थ है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57 में है ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57च और नियम 57कख का संशोधन।

142. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, —

(क) भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 122 (अ), तारीख 1 मार्च, 1997 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1997 के नियम 8 के खंड (क) द्वारा यथा प्रतिस्थापित नियम 57च का उपनियम (12); और

(ख) भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 203 (अ), तारीख 1 मार्च, 2000 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा यथा प्रतिस्थापित नियम 57 कख का उपनियम (1) का खंड (ख),

छठी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक उक्त उपनियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही उस तारीख तक जिसको वे उपनियम अधिक्रांत किए गए थे, भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएंगे और संशोधित हुए समझे जाएंगे ।

(2) 8 जुलाई, 1999 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अवधि के दौरान किसी समय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के लिए जाने या उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात न किए जाने के लिए, किंतु यदि उपधारा (1) द्वारा संशोधन न किया गया होता तो लिए जाने या उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात की गई होती, की गई या किए जाने के लिए तात्यर्पित किसी कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई है मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) यथास्थिति, विनिर्दिष्ट शुल्क या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का प्रत्यय अनुज्ञात करने के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां, किसी न्यायालय में चलाई नहीं जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी और, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट शुल्क का प्रत्यय या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का प्रत्यय अनुज्ञात करने की कोई डिक्री या आदेश का कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, जो लेने या उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों;

(ख) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट शुल्क या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के सभी ऐसे प्रत्ययों की, जो लिए और उपयोग किए गए हैं, किंतु जिनका लिया जाना और उपयोग किया जाना अनुज्ञात नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होते, वसूली की जाएगी और इस अवधि के भीतर शुल्कों के ऐसे प्रत्यय के असंदाय की दशा में, वसूलनीय ऐसे शुल्कों के प्रत्यय की रकम के अतिरिक्त, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज संदेय होगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रांत होते हुए भी उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और शक्ति होना मानी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति रही हो ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार तब दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में न होती ।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट शुल्क" और " केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय" पदों का वही अर्थ है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57क और नियम 57कख में है ।

केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 3 का संशोधन।

143.(1). केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 में भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 445 (अ), तारीख 21 जून, 2001 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित उसके नियम 3 के उपनियम (3) का, सातवीं अनुसूची के स्तंभ(2) में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही, उस तारीख तक, जिसको उक्त केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम अधिक्रांत किए गए थे, संशोधित हो जाएंगे और संशोधित किए गए समझे जाएंगे।

(2) 1 जुलाई, 2001 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अवधि के दौरान किसी समय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के लिए जाने या उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात न किए जाने के लिए, किंतु यदि उपधारा (1) द्वारा संशोधन न किया गया होता तो लिए जाने या उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात की गई होती, की गई या किए जाने के लिए तात्पायत किसी कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई है मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का प्रत्यय अनुज्ञात करने के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां, किसी न्यायलय में चलाई नहीं जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी और केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का प्रत्यय अनुज्ञात करने की कोई डिक्री या आदेश का कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, जो लेने या उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों ;

(ख) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के सभी ऐसे प्रत्ययों की, जो लिए और उपयोग किए गए हैं, किंतु जिनका लिया जाना और उपयोग किया जाना अनुज्ञात नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होते, वसूली की जाएगी और इस अवधि के भीतर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय के असंदाय की दशा में, वसूलनीय ऐसे केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय की रकम के अतिरिक्त, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत की दर से ब्याज संदेय होगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के अधिक्रांत होते हुए भी, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और शक्ति होना मानी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति रही हो ।

स्पष्टीकरण 1— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय् नहीं होगा, जो इस प्रकार तब दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में न होती।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय" पद का वही अर्थ है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 में है ।

केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 का संशोधन।

144. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (3) में, भारत सरकार के पूर्ववर्ती वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 835(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2002 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2002 द्वारा अंतःस्थापित किए गए दूसरे परंतुक को 1 मार्च, 2002 से ही प्रभावी हुआ और सदैव प्रभावी रहा समझा जाएगा ।

(2) 1 मार्च, 2002 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अवधि के दौरान किसी समय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तदधीन क्नाए गए किन्हीं नियमों के अधीन लिए जाने वाले या उपयोग किए जाने वाले केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को अनुज्ञात न करने के लिए, जो यदि उपधारा (1) द्वारा संशोधन न किए गए होते, लिए जाने या उपयोग के लिए अनुज्ञात किए गए होते, की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई है मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करने के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में चलाई नहीं जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी और किसी न्यायालय द्वारा लिए जाने या उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करने वाली किसी डिक्री या आदेश का इस प्रकार प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों ;

(ख) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय मूल्यवर्धित कर के सभी ऐसे प्रत्यय की, जो लिए और उपयोग किए गए हैं किन्तु लिया जाना और उपयोग किया जाना अनुज्ञात नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होते, वसूली की जाएगी और इस अवधि के भीतर ऐसे केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय के असंदाय की दशा में, ऐसे वसूलनीय केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय की रकम के अतिरिक्त, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज संदेय होगा ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और शक्ति होना मानी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति रही हो ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार तब दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में न होती ।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय" पद का वही अर्थ है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 में है ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचनाओं का कतिपय अवधि के लिए संशोधन।

145. (1) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 और सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 भूतलक्षी रूप से 8 जुलाई, 1999 से 22 दिसंबर, 2002 (दोनों तारीखें सम्मिलित करते हुए) आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएंगी और संशोधित हुई समझी जाएंगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्यवाही या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी, मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों में प्रवर्तन में रही हों । 1957 का 58 1978 का 40

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति केंद्रीय सरकार को होगी और सदैव उसके पास रही समझी जाएगी मानो अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से, संशोधित करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार को थी । 1957 का 58 1978 का 40

(3) उपधारा (1) के अधीन संशोधन 22 दिसंबर, 2002 को समाप्त होने पर भी, उक्त अधिसूचना के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्यवाही या बात या किए गए किसी लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद नहीं लाया जाएगा या अन्य कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी या उन्हें चालू नहीं रखा जाएगा और ऐसी की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्रवृत्त नहीं किया जाएगा मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो ।

(4) उपधारा (1) के संशोधन के 22 दिसंबर, 2002 से समाप्त होने पर भी, ऐसे शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों की सभी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या प्रतिदाय कर दी गई हैं किंतु जिनका, यथास्थिति, इस प्रकार संग्रहण किया जाता या प्रतिदाय नहीं किया जाता, यदि इस धारा के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तित रहते, उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर वसूली की जाएगी और इस प्रकार वसूलनीय शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों के संदाय न किए जाने के दशा में तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात्वर्ती दिन से संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से उस पर ब्याज संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का उस उपधारा द्वारा भूतलक्षी रूप से संशोधन न किया गया होता ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचनाओं का संशोधन।

146. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 और सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 नौवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही, भूतलक्षी रूप से, संशोधित हो जाएंगी और संशोधित हुई समझी जाएंगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी, मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों में प्रवर्तन में रही हों । 1957 का 58 1978 का 40

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति केंद्रीय सरकार को होगी और सदैव उसके पास रही समझी जाएगी मानो अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से, संशोधित करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार को थी । 1957 का 58 1978 का 40

(3) उक्त अधिसूचनाओं के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्रवाईयां चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी और इस प्रकार की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए लोप के संबंध में किसी डिक्री या आदेश को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्रवृत्त नहीं किया जाएगा मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे हों ।

(4) ऐसे शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों की सभी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या प्रतिदाय कर दी गई हैं किंतु जिनका, यथास्थिति, इस प्रकार संग्रहण किया जाता या प्रतिदाय नहीं किया जाता, यदि इस धारा के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तित रहते, उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर वसूली की जाएगी और इस प्रकार वसूलनीय शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों के संदाय न किए जाने के दशा में तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात्वर्ती दिन से संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से उस पर ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का उस उपधारा द्वारा भूतलक्षी रूप से संशोधन न किया गया होता ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 की पहली और दूसरी अनुसूचियों का संशोधन ।

147. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है),—

(क) पहली अनुसूची, दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी ;

(ख) दूसरी अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी ।

1957 के अधिनियम 58 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

148. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में, पैरा 4 के उपपैरा (i) के परंतुक के स्थान पर उस तारीख से जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्षों के दौरान, किसी राज्य में पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित माल के विक्रय या क्रय के संबंध में या उस राज्य की किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उनमें से एक या अधिक के संबंध में कोई कर, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अनुसार अवधारित ऐसे माल के मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक दर से उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है तो उस वित्तीय वर्ष की बाबत इस पैरा के अधीन कोई राशि उस राज्य को तब तक संदेय नहीं होगी जब तक केंद्रीय सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे ।" ।

1944 का 1

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (चाय और चाय अपशिष्ट) ।

149. (1) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में विनिर्मित माल हैं, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से अधिभार के रूप में, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, संघ के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल के संबंध में प्रभार्य किसी अन्य उत्पाद-शुल्कों के अतिरिक्त होगा ।

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और उनसे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उस अधिनियम या उन नियमों के अधीन ऐसे माल के संबंध में उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

अध्याय 5

सेवा-कर

1994 के अधिनियम 32 का उपांतरण।

150. 16 जुलाई, 1997 से ही प्रारंभ होने वाली और 16 अक्तूबर, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 116 द्वारा उपांतरित किए गए वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे और प्रभावी हुए समझे जाएंगे, अर्थात् :— 2002 का 10

(क) धारा 68 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा और 16 जुलाई, 1997 से ही अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु यह कि —

(i) किसी निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की बाबत, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कोई निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता नियोजित किया है और जिसके द्वारा वह पारिश्रमिक या कमीशन (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो), 16 जुलाई, 1997 से आरंभ होने वाली और 16 अक्तूबर, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त अभिकर्ता को, ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए संदत्त किया जाता है; या

(ii) माल परिवहन प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की बाबत, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो 16 नवंबर, 1997 से ही आरंभ होने वाली और 2 जून, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा किसी माल का वहन करने में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से भाड़े का संदाय करता है या संदाय करने का दायी है,

निर्धारिती समझा जाएगा और तदनुसार उसे उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार के खाते में सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।";

(ख) धारा 71 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, और 16 जुलाई, 1997 से ही अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय ग्राहकों द्वारा विवरणी का फाइल किया जाना।

" 71क. धारा 69 और धारा 70 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उनके उपबंध संबंधित अवधि के लिए और उसमें विनिर्दिष्ट सेवा की बाबत सेवा-कर के संबंध में विवरणी फाइल करने के लिए धारा 68 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती को लागू नहीं होंगे और ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर सेवा-कर के स्वतः निर्धारण के आधार पर, विहित रीति में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को विवरणी देगा और तदनुसार धारा 71 के उपबंध लागू होंगे ।";

(ग) धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 16 जुलाई, 1997 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

" (गग) धारा 71क के अधीन विवरणी देने की रीति ।" ।

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

151. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 65 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

परिभाषाएं ।

' 65. इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "बीमांकक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (1) में है ; 1938 का 4

(2) "विज्ञापन" के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, दस्तावेज, होर्डिंग या प्रकाश, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई अन्य श्रव्य या दृश्यरूपण है ;

(3) "विज्ञापन अभिकरण" से विज्ञापन बनाने, तैयार करने, संप्रदर्शन या प्रदर्शन से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विज्ञापन परामर्शी है ;

(4) "वायुमार्ग यात्रा अभिकर्ता" वायुमार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(5) " अपील अधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1962 का 52

(6) " वास्तुविद्" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम, तत्समय, वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 23 के अधीन रखे गए वास्तुविदों के रजिस्टर में दर्ज है और इसके अंतर्गत किसी भी रीति से स्थापत्य कला के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान भी है ; 1972 का 20

(7) " निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी है और इसके अंतर्गत उसका अभिकर्ता है ;

(8) " विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यौहारी" का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में " प्राधिकृत व्यक्ति" का है ; 1999 का 42

(9) " प्राधिकृत सर्विस स्टेशन" से किसी मोटर यान विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी मोटर कार या दुपहिया मोटर यान की कोई सर्विस या मरम्मत करने के लिए ऐसे किसी मोटर यान विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कोई सर्विस स्टेशन या केंद्र अभिप्रेत है ;

(10) "बैंककारी" का वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ख) में है ; 1949 का 10

(11) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) में है ; 1934 का 2

(12) "बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं" से,—

(क) किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित सेवाएं हैं, अर्थात् :—

(i) वित्तीय पट्टा सेवाएं, जिसके अंतर्गत किसी निगमित निकाय द्वारा उपस्कर पट्टे पर देना और अवक्रय करना है ;

(ii) क्रेडिट कार्ड सेवाएं ;

(iii) वाणिज्यिक बैंककारी सेवाएं ;

(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फौरेक्स) दलाली ;

(v) आस्ति प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षा संबंधी निक्षेपागार और न्यास सेवाएं हैं किंतु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है ;

(vi) सलाहकार और अन्य सहायक वित्तीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान और सलाह, समामेलन और अर्जन पर सलाह तथा निगमित पुनःसंरचना और युक्ति पर सलाह है ; और

(vii) सूचना और डाटा प्रसंस्करण का उपबंध और अंतरण ;

(ख) किसी विदेशी मुद्रा दलाल, उससे भिन्न जो उपखंड (क) के अंतर्गत आते हैं, द्वारा उपलब्ध कराई गई विदेशी मुद्रा दलाली ;

(13) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ; 1963 का 54

(14) "निगमित निकाय" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (7) में है ; 1956 का 1

(15) "प्रसारण" का वही अर्थ है, जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 2 के खंड (ग) में है और इसके अंतर्गत किसी रेडियो या टेलीविजन चैनल पर श्रव्य या दृश्य विषय का कार्यक्रम चयन, अनुसूची तैयार करना या प्रस्तुतीकरण भी है, जो जनता द्वारा, यथास्थिति, सुने या देखे जाने के लिए आशयित है; और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, इसके अंतर्गत उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो उसकी ओर से किसी रीति में कार्य करता है, समय काल का विक्रय करने या किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप भी हैं ; 1990 का 25

(16) "प्रसारण अभिकरण या संगठन" से ऐसा कोई संगठन या अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी रीति में प्रसारण से संबंधित सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, इसके अंतर्गत भारत में उसका शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी रीति में उसकी ओर से कार्य करता है, जो उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय-काल का विक्रय करने या ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप में लगा हुआ है ;

(17) "सौन्दर्य उपचार" से मुख और सौन्दर्य उपचार, प्रसाधन उपचार, हस्त श्रृंगार, पाद श्रृंगार या सौन्दर्य, चेहरे की देखभाल और बनाव-श्रृंगार के संबंध में सलाहकारी सेवाएं अभिप्रेत हैं ;

(18) "सौन्दर्य पार्लर" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जो सौन्दर्य उपचार संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है ;

(19) "कारबार सहायक सेवा" से निम्नलिखित से संबंधित कोई सेवा अभिप्रेत है—

(i) कक्षीकार द्वारा उत्पादित या उपलब्ध अथवा उसके माल का संवर्धन या विपणन या विक्रय; या

(ii) कक्षीकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा का संवर्धन या विपणन; या

(iii) कक्षीकार की ओर से उपलब्ध कराई गई कोई ग्राहक देखभाल सेवा; या

(iv) कोई आनुषंगिक या सहायक समर्थन सेवा जैसे बिलिंग, चेकों का संग्रहण या वसूली, लेखा और प्रेषण, भावी ग्राहकों का मूल्यांकन और लोक संपर्क सेवाएं,

और इसके अंतर्गत कमीशन अभिकर्ता के रूप में सेवाएं सम्मिलित हैं किंतु इसमें कोई सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नहीं है ।

स्पष्टीकरण — शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी सेवा" से डिजाइनिंग, विकास या कंप्यूटर साफ्टवेयर का अनुरक्षण या कंप्यूटरीकृत डाटा प्रसंस्करण या प्रणाली नेटवर्किंग या कंप्यूटर प्रणाली के प्रचालन के संबंध में प्राथमिक रूप से कोई अन्य सेवा से संबंधित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(20) "कैब" से मोटर कैब या मैक्सी कैब अभिप्रेत है ;

1995 का 7 (21) "केबल आपरेटर" का वही अर्थ है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (कक) में है ;

1995 का 7 (22) "केबल संबंधी सेवा" का वही अर्थ है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (ख) में है ;

(23) "स्थोरा उठाई-धराई सेवा" से स्थोरा की लदाई, उतराई, पैकिंग करना या पैकिंग हटाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विशेष आधानों में ढुलाई के लिए या गैर-आधानीकृत ढुलाई के लिए दी गई स्थोरा की उठाई-धराई सेवाएं, सभी प्रकार के परिवहन के लिए किसी आधान ढुलाई टर्मिनल या किसी अन्य ढुलाई टर्मिनल द्वारा दी गई सेवाएं और ढुलाई से आनुषंगिक स्थोरा उठाई-धराई सेवा भी हैं, किंतु इसके अंतर्गत निर्याती स्थोरा या यात्री सामान की उठाई-धराई या केवल माल का परिवहन करना नहीं है ;

(24) "खान-पान प्रबंधक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रयोजन या अवसर के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी खाद्य, खाद्य निर्मितियों, एल्कोहाली या गैर-एल्कोहाली पेयों या क्राकरी और वैसी ही वस्तुओं या साज-सज्जाओं का प्रदाय करता है ;

(25) "निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रीति से निकासी और अग्रेषण संक्रियाओं से संबंधित कोई सेवा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परेषण अभिकर्ता है ;

(26) "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग" से किसी वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला कोई प्रशिक्षण या कोचिंग अभिप्रेत है ;

(27) "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केंद्र" से किसी विषय या खेल-कूद से भिन्न किसी क्षेत्र में कोई प्रमाणपत्र जारी करके या उसके बिना कुशलता या ज्ञान या पाठ के लिए प्रशिक्षण या कोचिंग उपलब्ध कराने वाला कोई वाणिज्यिक संस्थान या स्थापन अभिप्रेत है और इसमें कोचिंग या ट्यूटोरियल कक्षाएं सम्मिलित हैं किंतु इसमें विद्यालय पूर्व कोचिंग और ऐसे प्रशिक्षण केंद्र या ऐसे संस्थान या स्थापन, जो प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या डिग्री या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मान्यताप्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता जारी करते हैं, सम्मिलित नहीं है ;

(28) "स्थापित करना या प्रतिस्थापित करना" से संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर के स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है ;

(29) "स्थापित और प्रतिस्थापित करने वाला अभिकरण" से स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने से संबंधित सेवा उपलब्ध कराने वाला कोई अभिकरण अभिप्रेत है ;

2000 का 21 (30) "कंप्यूटर नेटवर्क" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में है ;

(31) "परामर्शी इंजीनियर" से कोई ऐसा वृत्तिक रूप से अर्हता प्राप्त इंजीनियर या इंजीनियरी फर्म अभिप्रेत है, जो इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करती है ;

(32) "अभिसमय" से कोई औपचारिक बैठक या सभा अभिप्रेत है, जो साधारण जनता के लिए खुली नहीं है, और इसके अंतर्गत ऐसी बैठक या सभा नहीं है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार का आमोद-प्रमोद, मनोरंजन या मनबहलाव करना है;

(33) "कुरियर अभिकरण" से, ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो काल सुग्राही दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने के लिए या उनके साथ जाने के लिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करते हुए ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार तक परिवहन में लगा हुआ है ;

(34) "प्रत्ययमापी अभिकरण" से ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी ऋणी बाध्यता की या वित्त की अपेक्षा करने वाली किसी परियोजना या कार्यक्रम की, चाहे ऋण के रूप में हो या अन्यथा, प्रत्ययमापी के कारबार में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत ऐसी किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति का, जिसका प्रयोजन किसी संभावी विनिधानकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ब्याज या मूलधन के समय पर संदाय संबंधी सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध कराना है, प्रत्यय मापन भी है ;

1962 का 52 (35) "सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन अस्थायी रूप से या अन्यथा अनुज्ञप्त है ;

2000 का 21 (36) "डाटा" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में है ;

(37) "निर्जल धुलाई" के अंतर्गत परिधान, कपड़े या अन्य वस्त्र, फर या चमड़े की वस्तुओं की निर्जल धुलाई है ;

(38) "निर्जल धुलाईकर्ता" से निर्जल धुलाई संबंधी सेवा प्रदान करने वाला कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है ;

2000 का 21 (39) "इलेक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में है ;

(40) "वृत्तांत प्रबंधन" से किसी कला, मनोरंजन, कारबार, खेलकूद या किसी अन्य घटना की योजना बनाने, उसके

संवर्धन, आयोजन या प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रदान की गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस संबंध में दिया गया कोई परामर्श भी है ;

(41) "वृत्तांत प्रबंधक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी रीति में वृत्तांत प्रबंध के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ;

(42) "अनुकृति (फैक्स)" से, दूर-संचार का वह रूप अभिप्रेत है जिसके द्वारा स्थिर ग्राफिक आकृतियों, जैसे मुद्रित पाठ और तस्वीरें स्कैन की जाती हैं और सूचना को दूर-संचार प्रणाली पर पारेषण के लिए विद्युत संकेतों में संपरिवर्तित किया जाता है ;

(43) "फैशन डिजाइनिंग" में मानवों द्वारा पहने जाने के लिए आशयित वेशभूषा, परिधान, कपड़ों, वस्त्र सहायक, आभूषण या कोई अन्य वस्तुओं के लिए डिजाइन की परिकल्पना करने, रूपरेखा तैयार करने और सृजन करने तथा पैटर्न तैयार करने से संबंधित कोई क्रियाकलाप है और उससे अनुषंगी कोई अन्य सेवा भी है ;

(44) "फैशन डिजाइनर" से फैशन डिजाइनिंग से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(45) "वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (ग) में है ; 1934 का 2

(46) "विदेशी मुद्रा दलाल" में विदेशी मुद्रा का कोई प्राधिकृत व्यवहारी सम्मिलित है ;

(47) "कारबार विशेषाधिकार" से ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके द्वारा—

(i) कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति की पहचान से माल का विक्रय या माल का विनिर्माण या सेवा उपलब्ध कराने या कोई प्रक्रिया करने का, चाहे उसमें, यथास्थिति, कोई व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न, व्यापार नाम या लोगो या कोई ऐसा संप्रतीक अंतर्वलित हो या नहीं, प्रतिनिधित्व अधिकार अनुदत्त करने का विशेषाधिकार दिया जाता है ;

(ii) कारबार विशेषाधिकार देने वाला व्यक्ति कारबार विशेषाधिकार के कारबार को चलाने की संकल्पना, जिसमें तकनीकी ज्ञान, प्रचालन की पद्धति, प्रबंधकीय विशेषज्ञता, विपणन तकनीक या प्रशिक्षण और क्वालिटी नियंत्रण के मानक केवल कारबार विशेषाधिकार वाले व्यक्ति को सभी तकनीकी ज्ञान के स्वामित्व के अंतरण के सिवाय सम्मिलित है, उपलब्ध कराता है ;

(iii) कारबार विशेषाधिकार वाले व्यक्ति से कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः फीस देने की अपेक्षा की जाती है; और

(iv) कारबार विशेषाधिकार वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की पहचान वाले उसी प्रकार के माल या सेवा या प्रक्रिया का विक्रय या उपलब्ध कराने में न लगने की बाध्यता के अधीन है ;

(48) "कारबार विशेषाधिकार देने वाला व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कारबार विशेषाधिकार लेने वाले व्यक्ति के साथ कोई कारबार विशेषाधिकार का करार करता है और जिसमें कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति का कोई सहयोगी या कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति द्वारा पदाभिहित कोई व्यक्ति सम्मिलित है और कारबार विशेषाधिकार देने वाला व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(49) "साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है ; 1972 का 57

(50) "माल" का वही अर्थ है जो माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2 के खंड (7) में है ; 1930 का 3

(51) "स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवा" से शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए सेवा, जैसे सोना और भाप स्नान, तुर्की स्नान, सौर-चिकित्सा, स्पास, वजन कम करने या छरहरा बनाने वाले सैलून, व्यायामशाला, योग, मनन, मालिश (चिकित्सीय मालिश को छोड़कर) या कोई अन्य उसी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है ;

(52) "हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा होटल या आश्रयगृह भी है, जो स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवा प्रदान कर रहा है ;

(53) "सूचना" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (v) में है ; 2000 का 21

(54) "बीमा अभिकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (10) में है ; 1938 का 4

(55) "बीमा सहायक सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी बीमांकक, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा साधारण बीमा कारबार या जीवन बीमा कारबार के संबंध में उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत जोखिम निर्धारण, दावा निपटान, सर्वेक्षण और हानि निर्धारण भी है ;

(56) "मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती" का वही अर्थ है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) में है ; 1999 का 41

(57) "इंटरनेट कैफे" से इंटरनेट के निर्धारण के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाला कोई वाणिज्यिक स्थापन अभिप्रेत है ;

(58) "बीमाकर्ता" से भारत में साधारण बीमा कारबार या जीवन बीमा कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(59) "आंतरिक साज-सज्जक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सलाह, परामर्श, तकनीकी सहायता के रूप में या किसी अन्य रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन करने या उन्हें सजाने, चाहे मानव निर्मित हो या अन्यथा, से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परिदृश्य डिजाइनर भी है ;

(60) "पट्टे पर दिए गए सर्किट" से अभिदाता के अनन्य उपयोग के लिए नियत दो अवस्थानों के बीच उपलब्ध कराया गया कोई समर्पित योजक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाक् सर्किट, डाटा सर्किट या तार सर्किट भी है ; 1938 का 4

(61) "जीवन बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (11) में है ;

(62) "चुंबकीय भंडारण युक्ति" के अंतर्गत मूल ध्वन्यंकन के प्रयोजन के लिए मोम के ब्लैंक, डिस्क या ब्लैंक, पट्टियां या फिल्म हैं ;

(63) "अनुरक्षण या मरम्मत" से निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा अभिप्रेत है—

(i) किसी अनुरक्षण संविदा या करार के अधीन कोई व्यक्ति ; या

(ii) किसी माल या उपस्कर की जिसके अंतर्गत मोटर यान नहीं है,

अनुरक्षण या मरम्मत या सर्विसिंग से संबंधित कोई विनिर्माणकर्ता या कोई प्राधिकृत व्यक्ति ;

(64) "प्रबंध परामर्शी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में किसी भी रीति से, कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी संगठन की किसी कार्य प्रणाली की संकल्पना, अभिकल्पना, विकास, उपांतरण, परिष्करण या उन्नयन से संबंधित कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करता है ;

1882 का 4

(65) "मंडप" से संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई स्थावर संपत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वहां का कोई ऐसा फर्नीचर, फिक्सचर, प्रकाश फिटिंग और उसमें की फर्श की बिछायतें हैं, जो किसी शासकीय, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल के लिए भाड़े पर दी जाती हैं ;

(66) "मंडप लगाने वाला" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी शासकीय, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल के लिए किसी मंडप के अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा देता है ;

(67) "जनशक्ति भर्ती अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कक्षीकार को जनशक्ति की भर्ती के लिए किसी रीति से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;

(68) "बाजार अनुसंधान अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की ग्राहक-अपेक्षित और व्यावसायिक रूप से संघटित अनुसंधान सेवाएं हैं, के संबंध में किसी भी रीति से बाजार अनुसंधान करने में लगा हुआ है ;

1988 का 59

1988 का 59

(69) "मैक्सी कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (22) में है ;

1988 का 59

(70) "मोटर कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (25) में है ;

1988 का 59

(71) "मोटर कार" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (26) में है ;

1934 का 2

(72) "मोटर यान" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में है ;

(73) "गैर बैंककारी वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में है ;

(74) "ऑन-लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःवापसी" से अभिप्रेत है, किसी ग्राहक को किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से पुनःवापस किए जाने योग्य या अन्यथा डाटा या सूचना का उपलब्ध कराना ;

1908 का 15

(75) "अन्य पत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (4) में "पत्तन" का है किन्तु इसमें खंड (80) में यथापरिभाषित पत्तन नहीं हैं ;

(76) "पेजर" से ऐसा उपकरण, यंत्र या साधित्र अभिप्रेत है जो वाणी रहित सूचना-संकेत के साथ एक-तरफा व्यक्तिगत संबोधन पद्धति है और जिसमें संख्यात्मक या वर्ण-संख्यात्मक संदेश प्राप्त करने, संग्रह करने और संप्रदर्शित करने की सामर्थ्य है ;

(77) "फोटोग्राफी" के अंतर्गत स्थिर फोटोग्राफी, चलचित्र फोटोग्राफी, लेजर फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी या प्रतिदीप्ति फोटोग्राफी भी है ;

(78) "फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण" से कोई वृत्तिक फोटोग्राफर या ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो फोटोग्राफी से संबंधित सेवा देने के कारबार में लगा है ;

1938 का 4

1963 का 38

(79) "पालिसी धारक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (2) में है ;

(80) "पत्तन" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (थ) में है ;

(81) "पत्तन सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी जलयान या माल के संबंध में किसी पत्तन द्वारा या पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी रीति से दी जाती है ;

1949 का 38

(82) "व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान का सदस्य है और चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो चार्टर्ड लेखा-कर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ;

1959 का 23

(83) "व्यवसायरत लागत लेखापाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान का सदस्य है और लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो लागत लेखा-कर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ;

1980 का 56

(84) "व्यवसायरत कंपनी सचिव" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो कंपनी सचिव के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ;

(85) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(86) "रेलयात्रा अभिकर्ता" से रेल द्वारा यात्रा के लिए यात्राधिकार की बुकिंग करने से संबंधित कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(87) "स्थावर संपदा अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के विक्रय, क्रय, पट्टे या किराए पर देने के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत स्थावर संपदा परामर्शी भी है ;

(88) "स्थावर संपदा परामर्शी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के मूल्यांकन, संकल्पना, डिजाइन, विकास, सन्निर्माण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुरक्षण, विपणन, अर्जन या प्रबंध के संबंध में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है ; 1956 का 42

(89) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है ;

(90) "कैब भाड़े पर देने की स्कीम आपरेटर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कैबों को भाड़े पर देने के कारबार में लगा हुआ है ;

(91) "वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श" से किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा किसी कक्षीकार को विज्ञान या प्रौद्योगिकी की एक या अधिक शाखाओं में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से, दी गई कोई सलाह, परामर्श या वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता अभिप्रेत है ; 1956 का 42

(92) "प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(93) "सुरक्षा अभिकरण" से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी संपत्ति की, चाहे जंगम या स्थावर हो, या किसी व्यक्ति की, किसी रीति से, सुरक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कारबार में लगा है और इसके अंतर्गत सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की सेवाओं सहित किसी तथ्य या क्रियाकलाप के, चाहे वह वैयक्तिक प्रकृति का हो या अन्यथा, अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन करने की सेवाएं भी हैं ;

(94) "सेवा-कर" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(95) "पोत" से समुद्रगामी जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत चलत जलयान भी है ;

(96) "पोत परिवहन लाइन" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पोत का स्वामी है या उसे चार्टर करता है और इसके अंतर्गत ऐसा उद्यम भी है, जो पोत-परिवहन के कारबार का प्रचालन करता है या उसका प्रबंध करता है ;

(97) "ध्वन्यंकन" से किसी रीति से चुंबकीय भंडारण युक्ति पर ध्वनि का अंकन अभिप्रेत है और उसमें उसका संपादन करना भी है ;

(98) "ध्वन्यंकन स्टुडियो या अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो ध्वन्यंकन से संबंधित कोई सेवा देने के कारबार में लगा हुआ है ;

(99) "स्टीमर अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,—

(i) पोत के प्रबंध या प्रस्थान के संबंध में किसी सेवा का निष्पादन करने, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित प्रशासनिक कार्य करना भी है ; या

(ii) किसी पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित करने या उसका प्रचार करने ; या

(iii) पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से आधान प्रदायक सेवाएं उपलब्ध कराने,

का कार्य करता है ; 1992 का 15

(100) "स्टाक दलाल" से कोई ऐसा स्टाक दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार स्टाक दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(101) "भंडारकरण और भांडागारण" के अंतर्गत माल के लिए भंडारण और भांडागारण की सेवाएं हैं जिसमें द्रव्य और गैस सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत कृषि उपज के भंडारण के लिए प्रदान की गई कोई सेवा या शीतागार द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा नहीं है ; 1992 का 15

(102) "उप दलाल" से कोई ऐसा उप दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(103) "अभिदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको तार प्राधिकारी द्वारा टेलीफोन कनेक्शन या अनुकृति या पट्टे पर दिए गए सर्किट या पेजर या तार या टेलेक्स की कोई सेवा उपलब्ध कराई गई है ;

(104) "कराधेय सेवा" से कोई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाती है :—

(क) किसी विनिधानकर्ता को, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के संबंध में, किसी स्टाक दलाल द्वारा ;

(ख) किसी अभिदाता को, किसी टेलीफोन कनेक्शन के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(ग) किसी अभिदाता को, किसी पेजर के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(घ) किसी पालिसीधारक को, साधारण बीमा कारबार के संबंध में, साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा ;

(ङ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, विज्ञापनों के संबंध में, किसी विज्ञापन अभिकरण द्वारा ;

(च) किसी ग्राहक को, काल-सुग्राही दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन के संबंध में, किसी कुरियर अभिकरण द्वारा ;

(छ) किसी कक्षीकार को, इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता के संबंध में, किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा ;

(ज) किसी कक्षीकार को, वाहनों के प्रवेश या प्रस्थान अथवा माल के आयात या निर्यात के संबंध में, किसी सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता द्वारा ;

(झ) किसी पोत परिवहन लाइन को, पोत के प्रबंध या प्रस्थान या उससे संबंधित किसी प्रशासनिक कार्य तथा आधान के प्रदायक सेवा सहित स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित या उसके लिए प्रचार करने के संबंध में, किसी स्टीमर अभिकर्ता द्वारा ;

(ञ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, निकासी और अग्रेषण संक्रियाओं के संबंध में, किसी निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा ;

(ट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, जनशक्ति की भर्ती के संबंध में, किसी जनशक्ति भर्ती अभिकरण द्वारा ;

(ठ) किसी ग्राहक को, वायु मार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्राधिकार बुक करने के संबंध में, किसी वायु मार्ग यात्रा अभिकर्ता द्वारा ;

(ड) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी मंडप के उपयोग के संबंध में मंडप लगाने वाले द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे उपयोग और खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं के संबंध में, यदि कोई हो, किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं भी हैं ;

(ढ) किसी व्यक्ति को, किसी पर्यटन के संबंध में, किसी पर्यटन आपरेटर द्वारा ;

(ण) किसी व्यक्ति को, कैब को भाड़े पर देने के संबंध में, किसी कैब को भाड़े पर देने की स्कीम के प्रचालक द्वारा;

(त) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, अपनी वृत्तिक हैसियत में, किसी वास्तुविद् द्वारा ;

(थ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या सजाने, चाहे मानवनिर्मित हों या अन्यथा, के संबंध में, किसी आंतरिक साज-सज्जक द्वारा ;

(द) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में, किसी प्रबंध परामर्शी द्वारा ;

(ध) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में, किसी रीति से, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा ;

(न) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा ;

(प) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा ;

(फ) किसी कक्षीकार को, किसी स्थावर संपदा के संबंध में, किसी स्थावर संपदा अभिकर्ता द्वारा ;

(ब) किसी कक्षीकार को, किसी संपत्ति या व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराके या अन्यथा और इसके अंतर्गत किसी तथ्य या क्रियाकलाप के अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना भी है, किसी सुरक्षा अभिकरण द्वारा ;

(भ) किसी कक्षीकार को, किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की प्रत्ययमापी के संबंध में, किसी प्रत्ययमापी अभिकरण द्वारा ;

(म) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता के लिए बाजार अनुसंधान के संबंध में, किसी बाजार अनुसंधान अभिकरण द्वारा ;

(य) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से हामीदारी के संबंध में, किसी हामीदार द्वारा ;

(यक) किसी कक्षीकार को, वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श के संबंध में, किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा ;

(यख) किसी ग्राहक को, फोटोग्राफी से संबंधित किसी रीति से, किसी फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण द्वारा ;

(यग) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से कन्वेंशन आयोजित कराने के संबंध में, किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा;

(यघ) किसी अभिदाता को, पट्टे पर दिए गए सर्किट के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(यङ) किसी अभिदाता को, तार के माध्यम से संसूचना के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(यच) किसी अभिदाता को, टैलेक्स के माध्यम से संसूचना के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(यछ) किसी अभिदाता को, प्रतिरूप फैक्स संसूचना के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(यज) किसी ग्राहक को, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलैक्ट्रानिक अभिलेख में किसी रीति से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःप्राप्ति, या दोनों के संबंध में, किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(यझ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से वीडियो टेप निर्माण के संबंध में, किसी वीडियो निर्माण अभिकरण द्वारा ;

(यञ) किसी कक्षीकार को, किसी भी प्रकार के ध्वन्यंकन के संबंध में, किसी ध्वन्यंकन स्टूडियो या अभिकरण द्वारा;

(यट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति में प्रसारण के संबंध में किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत के बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, जिसके अंतर्गत भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो उसकी ओर से किसी रीति में, किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय काल का विक्रय करने या कार्यक्रम के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप में लगा

हुआ है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जब तक रेडियो या टेलीविजन प्रसारण भारत में ग्रहण किए जाते हैं और साधारण जनता के द्वारा, यथास्थिति, देखे जाने या सुने जाने के लिए आशयित है, ऐसी सेवा, प्रसारण के संबंध में कराधेय सेवा होगी, चाहे सिगनलों का पारेषण या उसका बीमींग उपग्रह के माध्यम से भारत के बाहर किसी स्थान पर हुआ हो ;

(यठ) किसी पालिसी धारक या बीमाकर्ता को, साधारण बीमा कारबार से संबंधित बीमा सहायक सेवाओं के संबंध में, किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा ;

(यड) किसी ग्राहक को, बैंककारी या अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है ;

(यढ) किसी व्यक्ति को, किसी रीति से पत्तन सेवाओं के संबंध में, किसी पत्तन या पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

(यण) किसी ग्राहक को, किसी मोटर कार या दुपहिया मोटर यानों की सर्विस या मरम्मत के संबंध में किसी रीति से, किसी प्राधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा ;

(यत) किसी ग्राहक को, बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में, उपखंड (यड) में निर्दिष्ट निगमित निकाय से भिन्न किसी निगमित निकाय द्वारा ;

(यथ) किसी ग्राहक को, सौन्दर्य उपचार के संबंध में किसी सौन्दर्य पार्लर द्वारा ;

(यद) किसी व्यक्ति को, स्थोरा की उठाई-धराई के संबंध में किसी स्थोरा उठाई-धराई अभिकरण द्वारा ;

(यध) किसी ग्राहक को, केबल सेवाओं के संबंध में, केबल आपरेटर द्वारा ;

(यन) किसी ग्राहक को, निर्जल धुलाई के संबंध में, निर्जल धुलाईकर्ता द्वारा ;

(यप) किसी कक्षीकार को, वृत्तांत प्रबंधन के संबंध में, वृत्तांत प्रबंधक द्वारा ;

(यफ) किसी व्यक्ति को, फैशन डिजाइनिंग के संबंध में, फैशन डिजाइनर द्वारा ;

(यब) किसी व्यक्ति को, स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवाओं के संबंध में, हेल्थ क्लब और शारीरिक योग्यता केन्द्र द्वारा ;

(यभ) किसी पालिसीधारक को, जीवन बीमा कारबार के संबंध में, जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता द्वारा ;

(यम) किसी पालिसीधारक या बीमाकर्ता को, जीवन बीमा कारबार से संबंधित बीमा सहायक सेवाओं के संबंध में, किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा ;

(यय) किसी ग्राहक को, रेल द्वारा यात्रा के लिए, यात्राधिकार की बुकिंग करने के संबंध में, रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा;

(ययक) किसी व्यक्ति को, माल के भंडारकरण और भांडागारण के संबंध में, भंडार या भांडागारपाल द्वारा ;

(ययख) किसी कक्षीकार को, कारबार सहायक सेवाओं के संबंध में, किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(ययग) किसी व्यक्ति को, वाणिज्यिक कोचिंग या प्रशिक्षण के संबंध में, किसी वाणिज्यिक कोचिंग या प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ;

(ययघ) किसी ग्राहक को, स्थापन या संस्थापन के संबंध में, किसी स्थापन और संस्थापन अभिकरण द्वारा ;

(ययङ) कोई कारबार विशेषाधिकार लेने वाले व्यक्ति को, कारबार विशेषाधिकार के संबंध में, कारबार विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति द्वारा ;

(ययच) किसी व्यक्ति को, इंटरनेट पहुंच के संबंध में, किसी इंटरनेट कैफे द्वारा ;

(ययछ) किसी ग्राहक को, अनुरक्षण या मरम्मत के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ययज) किसी व्यक्ति को, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण के संबंध में, किसी तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण अभिकरण द्वारा ;

(ययझ) किसी व्यक्ति को, तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणीकरण के संबंध में, किसी तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा ;

(ययञ) किसी ग्राहक को, किसी मैक्सी कैब की किसी सर्विस या मरम्मत के संबंध में, किसी प्राधिकृत सेवा केन्द्र द्वारा;

(ययट) किसी ग्राहक को, बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में, उपखंड (यम) और (यत) में निर्दिष्ट दलालों से भिन्न किसी विदेशी मुद्रा दलाल द्वारा ;

(ययठ) किसी व्यक्ति को, किसी रीति से पत्तन सेवा से संबंधित अन्य पत्तन या उस पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा,

और "सेवा प्रदाता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(105) " तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण" से माल या सामग्री या किसी स्थावर संपत्ति के भौतिक, रासायनिक, जैव वैज्ञानिक या किसी अन्य वैज्ञानिक परीक्षण या विश्लेषण से संबंधित कोई सेवा अभिप्रेत है, किन्तु इसमें मानव या पशुओं से संबंधित उपलब्ध कराई गई कोई परीक्षण या विश्लेषण सेवा नहीं है ;

(106) "तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण अभिकरण" से कोई ऐसा अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जो तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;

(107) "तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन" से माल या प्रक्रिया या सामग्री या किसी स्थावर संपत्ति का, यह प्रमाणित करने के लिए कि ऐसा माल या प्रक्रिया या सामग्री या स्थावर संपत्ति विनिर्दिष्ट मानक को पूरा करते हैं या उन्हें बनाए रखते हैं, जिसके अंतर्गत किसी अन्य लक्षण या परिधि के कृत्यकरण या उपयोगिता या क्वालिटी या सुरक्षा सम्मिलित है, निरीक्षण या परीक्षण अभिप्रेत है किन्तु जिसमें प्रदूषण स्तर के निरीक्षण और प्रमाणन से संबंधित कोई सेवा सम्मिलित नहीं है ;

1885 का 13

(108) "तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण" से ऐसा अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जो तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन से संबंधित सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;

1885 का 13

(109) "तार" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (1) में है ;

(110) "तार प्राधिकारी" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (6) में है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है;

(111) "टैलेक्स" से टैलेक्स एक्सचेंजों के माध्यम से टेलीप्रिन्टर का उपयोग करके टाइप की गई संसूचना अभिप्रेत है ;

1988 का 59

1988 का 59

(112) "पर्यटन" से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा अभिप्रेत है चाहे ऐसे स्थानों के बीच की दूरी कुछ भी हो ;

(113) "पर्यटक यान" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (43) में है ;

(114) "पर्यटक प्रचालक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले किसी पर्यटक यान में पर्यटन कराने के कारबार में लगा हुआ है ;

(115) "हामीदार" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (च) में है ;

1963 का 38

(116) "हामीदारी" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (छ) में है ;

(117) "जलयान" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (य) में है ;

(118) "वीडियो निर्माण अभिकरण" से कोई वृत्तिक वीडियोग्राफर या कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो वीडियो टेप निर्माण से संबंधित सेवा प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है ;

1944 का 1

(119) "वीडियो टेप निर्माण" से किसी चुंबकीय टेप पर किसी कार्यक्रम या समारोह के किसी रीति से किसी अंकन की प्रक्रिया अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका संपादन करना भी है ;

(120) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, जहां तक हो सके, सेवा-कर के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ।

कराधेय सेवाओं का वर्गीकरण।

65क. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कराधेय सेवाओं का वर्गीकरण, धारा 65 के खंड (104) के उपखंडों के निबंधनों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ;

(2) जब किसी कारण से कोई कराधेय सेवा, प्रथमदृष्ट्या, धारा 65 के खंड (104) के दो या अधिक उपखंडों के अधीन वर्गीकरणीय है तब वर्गीकरण निम्न प्रकार से प्रभावी किया जाएगा :—

(क) उस उपखंड को, जो सर्वोत्तम विनिर्दिष्ट वर्णन का उपबंध करता है, अधिक व्यापक वर्णन का उपबंध करने वाले उपखंडों पर अधिमानता दी जाएगी ;

(ख) सम्मिश्र सेवाएं, जिसमें विभिन्न सेवाओं का संयोजन है जिन्हें खंड (क) के प्रतिनिर्देश से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा मानो उसमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जो जहां तक यह मापमान लागू होता है, उन्हें अनिवार्य लक्षण प्रदान करता है ;

(ग) जब सेवाएं खंड (क) या खंड (ख) के प्रतिनिर्देश से वर्गीकृत नहीं की जा सकती हैं तब उन्हें उस उपखंड के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा जो उन खंडों में सबसे पहले आता है जिसमें सर्वोत्तम विनिर्दिष्ट वर्णन का उपखंड है जिस पर समान रूप से विशिष्टता के आधार पर विचार किया जा सकता है ।';

सेवा-कर का प्रभारण ।

(ख) धारा 66 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"66. (1) कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा-कर कहा गया है), धारा 65 के खंड (104) के उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (घ), उपखंड (ङ), उपखंड (च), उपखंड (छ), उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ), उपखंड (ण), उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म), उपखंड (य), उपखंड (यक), उपखंड (यख), उपखंड (यग), उपखंड (यघ), उपखंड (यङ), उपखंड (यच), उपखंड (यछ), उपखंड (यज), उपखंड (यझ), उपखंड (यञ), उपखंड (यट), उपखंड (यठ), उपखंड (यड), उपखंड (यढ), उपखंड (यण), उपखंड (यत), उपखंड (यथ), उपखंड (यद), उपखंड (यध), उपखंड (यन), उपखंड (यप), उपखंड (यफ), उपखंड (यब), उपखंड (यभ), उपखंड (यम), उपखंड (यय) और उपखंड (ययक) में निर्दिष्ट कराधेय मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति से संगृहीत किया जाएगा जो विहित की जाए;

(2) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, धारा 65 के खंड (104) के उपखंड (ययख), उपखंड (ययग), उपखंड (ययघ), उपखंड (ययङ), उपखंड (ययच), उपखंड (ययछ), उपखंड (ययज), उपखंड (ययझ), उपखंड (ययञ), उपखंड (ययट) और उपखंड (ययठ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा के मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से सेवा कर उदगृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति से संगृहीत किया जाएगा जो विहित की जाए ।";

(ग) धारा 67 के स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (च) में, " मोटर कार" शब्दों के स्थान पर, " मोटर कार, मैक्सी कैब" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) " किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,—" शब्दों से आरंभ होने वाले और " यदि कोई हो, लागत" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"किंतु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(i) टेलीफोन कनेक्शन या पेजर या प्रतिरूप (फैक्स) या तार या टैलेक्स या पट्टाधृत परिपथ के लिए आवेदन के समय अभिदाता द्वारा किया गया प्रारंभिक निक्षेप ;

(ii) सेवा उपलब्ध कराने के अनुक्रम के दौरान कक्षीकार को विक्रीत अनुद्भाषित फोटोग्राफी फिल्म, अनभिलिखित चुंबकीय टेप या ऐसी अन्य भंडारण युक्तियां, यदि कोई हों, की लागत ;

(iii) मोटर कार, मैक्सी कैब या दोपहिए मोटर यानों की सर्विस या मरम्मत के अनुक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जे या उपसाधन या खपत योग्य वस्तुएं, जैसे स्नेहक और शीतलकों की लागत ;

(iv) उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा संगृहीत वायुयान भाड़ा ;

(v) उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा संगृहीत रेल भाड़ा ;

(vi) अनुरक्षण या मरम्मत सेवा उपलब्ध कराने के अनुक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या अन्य सामग्री, यदि कोई हो, की लागत ;

(vii) स्थापन या संस्थापन सेवा उपलब्ध कराने के अनुक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या अन्य सामग्री, यदि कोई हों की लागत । ";

(घ) धारा 73 में,—

(i) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, " छह मास" शब्दों के स्थान पर, " एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(2क) जहां कोई सेवा-कर, जो निर्धारण से छूट गया है या अवनिर्धारित किया गया है या सेवा-कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या जिससे किसी राशि का भूलवश प्रतिदाय किया गया है, वहां सेवा-कर से प्रभार्य व्यक्ति, ऐसे सेवा-कर की बाबत उपधारा (1) के अधीन उसे सूचना की तामील से पूर्व ऐसे कर के बारे में अपने स्वयं के अभिनिश्चयन के आधार पर या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित किए गए कर के आधार पर कर की राशि का संदाय कर सकेगा और, यथास्थिति, ऐसे सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को, ऐसे संदाय की लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त सेवा-कर की बाबत उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा :

परंतु, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, कम संदाय किए गए कर की राशि को, यदि कोई हो, अवधारित कर सकेगा, जो उसकी राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं की गई है और तब, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसी राशि की वसूली की कार्यवाही करेगा और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट "एक वर्ष" की अवधि को संदाय की ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से गणना में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1— इस उपधारा की कोई बात उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि यह उपधारा न होती तो धारा 75 के अधीन व्यक्ति द्वारा इस उपधारा के अधीन संदत्त रकम पर ब्याज संदेय होगा और, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा अवधारित सेवा-कर के कम संदाय की रकम पर भी ब्याज संदेय होगा ।

(2ख) उपधारा (2क) के उपबंध, ऐसे किसी मामले को लागू नहीं होंगे जहां सेवा-कर उस दिन से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, संदेय हो गया था या संदत्त हो जाना चाहिए था ।';

(ङ) धारा 78 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन यथाअवधारित ऐसा सेवा-कर और धारा 75 के अधीन उस पर संदेय ब्याज का, यथास्थिति, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के, ऐसा सेवा-कर अवधारित करने वाले आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदाय कर दिया जाता है, वहां इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाने वाली शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित सेवा-कर का पच्चीस प्रतिशत होगी :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन शास्ति कम करने का फायदा तब उपलब्ध होगा जब इस प्रकार अवधारित शास्ति की रकम का भी उस परंतुक में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय कर दिया गया है :

परंतु यह भी कि जहां अवधारित संदेय सेवा-कर में, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा कमी या वृद्धि कर दी जाती है, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, सेवा-कर में की गई कमी या वृद्धि को गणना में लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां अवधारित संदेय सेवा-कर में, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा वृद्धि कर दी जाती है, वहां पहले परंतुक के अधीन शास्ति कम करने का फायदा तब उपलब्ध होगा जब इस प्रकार वर्धित सेवा-कर की रकम, उस पर संदेय ब्याज और शास्ति की पच्चीस प्रतिशत की पारिणामिक वृद्धि भी उस आदेश की सूचना के तीस दिन के भीतर संदत्त कर दी गई है, जिसके द्वारा सेवा-कर में ऐसी वृद्धि लागू होती है ।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि—

(1) इस धारा के उपबंध उन मामलों को भी लागू होंगे जिनमें धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन सेवा-कर के अवधारण का आदेश उन सूचनाओं से संबंधित हैं, जो उस तारीख से पूर्व निकाली गई हों, जिसको वित्त अधिनियम, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ;

(2) पहले परंतुक या चौथे परंतुक में निर्दिष्ट आदेश की संसूचना की तारीख से पूर्व केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम ऐसे व्यक्ति से शोध्य कुल रकम मद्धे समायोजित की जाएगी । ";

(च) खंड 83 में, "11घ" अंक और अक्षर के स्थान पर, " 11ग, 11घ, 12" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 85 की उपधारा (1) में, " इस अध्याय के अधीन शास्ति" शब्दों के स्थान पर, " इस अध्याय के अधीन शास्ति या किसी सेवा-कर के किसी प्रतिदाय के इन्कार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 94 में, उपधारा (2) के खंड (ङङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" (ङङङ) उपभोग की गई सेवाओं पर संदत्त सेवा-कर या किसी कराधेय सेवा को उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किए गए माल पर संदत्त या संदत्त समझे गए शुल्क का प्रत्यय । ";

(झ) धारा 95 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) यदि, वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा इस अध्याय में सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन या निर्धारण की बाबत कोई कठिनाई पैदा होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से, जिसको वित्त अधिनियम, 2003 के उपबंध, जिसमें इस अध्याय की ऐसी कराधेय सेवाएं सम्मिलित हैं, लागू होते हैं, दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा । ";

(ञ) अध्याय 5 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 5क

अग्रिम विनिर्णय

परिभाषाएं ।

96क. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से प्राधिकरण द्वारा, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई जाने के लिए प्रस्तावित किसी सेवा के संबंध में सेवा-कर का संदाय करने के दायित्व से संबंधित आवेदन में विनिर्दिष्ट विधि या तथ्य के प्रश्न का अवधारण अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है ,—

(i) कोई अनिवासी, जो किसी अनिवासी या निवासी के सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ii) कोई निवासी, जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(iii) पूर्व स्वामित्व वाली कोई समनुषंगी भारतीय कंपनी, जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कंपनी है,

जो भारत में कोई कारबारी क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव कर रही है और अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन कर रही है ।

1962 का 52

(ग) "आवेदन" से धारा 96ग की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है ;

1961 का 43

(घ) "प्राधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

1944 का 1

(ङ) "अनिवासी", " भारतीय कंपनी" और " विदेशी कंपनी" के वही अर्थ हैं जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (30), (26) और (23क) में क्रमशः उनके हैं ;

(च) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तद्धीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, सेवा-कर के संबंध में, जहां तक हो सके, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ।

रिक्तियों आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

96ख. इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही या उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या अविधिमान्य नहीं होगा कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन ।

96ग. (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा करने वाला कोई आवेदक, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस प्रश्न का कथन करते हुए, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, आवेदन कर सकेगा ।

(2) वह प्रश्न, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, निम्नलिखित की बाबत होगा—

(क) अध्याय 5 के अधीन कराधेय सेवा के रूप में किसी सेवा का वर्गीकरण ;

(ख) सेवा-कर प्रभारित करने के लिए कराधेय सेवाओं का मूल्यांकन ;

(ग) अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन कराधेय सेवा के मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत ;

(घ) अध्याय 5 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का लागू होना ;

(ङ) सेवा कर के प्रत्यय की ग्राह्यता ।

(3) आवेदन चार प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ दो हजार पांच सौ रुपए की फीस होगी ।

आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया ।

(4) कोई आवेदक, आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन वापस ले सकेगा ।

96घ. (1) प्राधिकरण, आवेदन की प्राप्ति पर, उसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो, उससे सुसंगत अभिलेख मांगेगा :

परंतु जहां किसी मामले में प्राधिकरण द्वारा कोई अभिलेख मंगाए जाते हैं वहां ऐसे अभिलेख, यथासंभवशीघ्र, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को लौटा दिए जाएंगे ।

(2) प्राधिकारी आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात, आदेश द्वारा, आवेदन को मंजूर कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा :

परंतु प्राधिकारी, आवेदन वहां मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न,—

(क) आवेदक के मामले में किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष पहले से ही लंबित है,

(ख) उठाया गया प्रश्न वही है जो अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा पहले से ही विनिश्चित किसी मामले में था :

परंतु यह और कि कोई आवेदन इस उपधारा के अधीन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह भी कि जहां आवेदन नामंजूर किया जाता है वहां, ऐसे नामंजूर किए जाने के कारण आदेश में दिए जाएंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक को और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन मंजूर किया जाता है वहां प्राधिकारी ऐसी और सामग्री की परीक्षा करने के पश्चात् जो आवेदक द्वारा उसके समक्ष रखी जाए या प्राधिकारी द्वारा अभिप्राप्त की जाए, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाएगा ।

(5) प्राधिकारी, आवेदक से प्राप्त किसी अनुरोध पर अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने से पूर्व आवेदक को स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर देगा । 1944 का 1

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35थ की उपधारा (2) में उसका है ।

(6) प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर लिखित रूप में अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाएगा ।

अग्रिम विनिर्णय का लागू होना ।

(7) प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की एक प्रति, जो सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित रीति से प्रमाणित की जाएगी, ऐसे सुनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, आवेदक को और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी।

96ङ. (1) धारा 96घ के अधीन प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय केवल—

(क) उस आवेदक पर, जिसके द्वारा वह चाहा गया है ;

(ख) धारा 96ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय की बाबत ;

(ग) आवेदक की बाबत, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त और उसके अधीनस्थ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों पर, आबद्धकर होगा ।

कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय पूर्वोक्त रूप में आबद्धकर होगा जब तक कि उस विधि या तथ्यों में, जिनके आधार पर अग्रिम विनिर्णय सुनाया गया है, कोई परिवर्तन न हुआ हो ।

96च. (1) जहां प्राधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा उसे किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा, यह निष्कर्ष निकालता है कि धारा 96घ की उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है वहां वह आदेश द्वारा, ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर सकेगा और तब इस अध्याय के सभी उपबंध (ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन किए गए आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को छोड़ने के पश्चात्) आवेदक को वैसे ही लागू होंगे मानो ऐसा अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही न गया हो ।

प्राधिकारी की शक्तियां।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की प्रति आवेदक को और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

96छ. (1) प्राधिकारी को खोज करने और निरीक्षण करने, किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और उसकी शपथपत्र पर परीक्षा करने, कमीशन निकालने और लेखाबहियों तथा अन्य अभिलेखों को पेश करने के लिए विवश करने से संबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। 1908 का 5 1974 का 2 1860 का 45

प्राधिकारी की प्रक्रिया।

(2) प्राधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए, किन्तु अध्याय 26 के प्रयोजनो के लिए नहीं, सिविल न्यायालय समझा जाएगा और प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

96ज. प्राधिकारी को, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से उदभूत होने वाले सभी विषयों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

96झ. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 96ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(ख) धारा 96घ की उपधारा (7) के अधीन प्राधिकारी द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को प्रमाणित करने की रीति ;

(ग) कोई ऐसा अन्य विषय, जो इस अध्याय द्वारा विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो

जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा'।

1994 के अधिनियम 32 की धारा 93 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

152. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 639(अ), तारीख 5 नवम्बर, 1997 के विखंडन के होते हुए भी, वह अधिसूचना संशोधित हो जाएगी और उसे अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित तारीख से ही, भूतलक्षी प्रभाव से, बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में 16 नवंबर, 1997 से 1 जून, 1998 तक (इसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं) संशोधित किया गया समझा जाएगा और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त नियमों के अधीन की गई किसी कार्रवाई या बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या बात को सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावी रूप से किया गया समझा जाएगा, मानो इस धारा द्वारा यथासंशोधित नियम सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे ।

1994 का 32

(2) ऐसे सभी सेवा करों का प्रतिदाय किया जाएगा जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जिन्हें इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में होता ।

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन सेवा-कर के प्रतिदाय के दावे का कोई आवेदन, उस दिन से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

1994 का 32

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी या शक्ति होना समझी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की सभी तात्विक समयों पर शक्ति थी ।

अध्याय 6

केंद्रीय विक्रय कर

1956 का 74

153. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है), धारा 6 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 6 का संशोधन।

"(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि—

(क) (i) भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक दूतावास; या

(ii) संयुक्त राष्ट्र या उसी प्रकार का कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय निकाय का कोई पदधारी या कार्मिक जो ऐसे किसी कन्वेंशन के अधीन, जिसमें भारत एक पक्षकार है, ऐसे विशेषाधिकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन का हकदार है; या

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र या अन्य निकाय का कोई कौन्सलीय या राजनयिक अभिकर्ता,

स्वयं के लिए या ऐसे मिशन, संयुक्त राष्ट्र या अन्य निकाय के प्रयोजनों के लिए, किसी माल का क्रय करता है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल के विक्रय पर संदेय कर से छूट दे सकेगी ।"।

154. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों से आरंभ होने वाले और "इनमें से जो भी कम हो" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 8 का संशोधन।

" इस अधिनियम के अधीन, उस तारीख से, जो इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, ऐसे कर का, जो, यथास्थिति, उसके आवर्त के दो प्रतिशत या समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन या मूल्यवर्धित कर अधिरोपित करने वाले उस राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन, ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर से इनमें से जो भी कम हो, होगा, संदाय करने का दायी होगा :

परंतु किसी व्यवहारी द्वारा इस धारा के अधीन संदेय कर की दर उसके आवर्त का चार प्रतिशत तब तक बनी रहेगी जब तक दो प्रतिशत की दर इस उपधारा के अधीन प्रभावी नहीं होती ।" ।

155. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 20 में,— धारा 20 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "धारा 9 के अधीन" शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 9 के अधीन, जो अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्या के अनुक्रम में माल के विक्रय के संबंध में किसी विवाद से संबंधित है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, " इस अधिनियम की धारा 6क या धारा 9 के अधीन" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "न्यायनिर्णयन करेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"किसी व्यवहारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील का न्यायनिर्णयन करेगा, जो उस तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर फाइल की गई हो जिसको उस उपधारा में निर्दिष्ट आदेश की उस पर तामील की जाती है :

परंतु यह कि प्राधिकारी, उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्, किंतु ऐसी तामील की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित किया गया है ।" ;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

156. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 21 में,— धारा 21 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, " संबंधित निर्धारण प्राधिकारी" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और " वापस किए जाएंगे" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

" संबंधित निर्धारण प्राधिकारी और साथ ही अपील से संबंधित प्रत्येक राज्य सरकार को भिजवाएगा और उनसे सुसंगत अभिलेख भेजने के लिए कहेगा :

परंतु ऐसे अभिलेख, यथासंभवशीघ्र, यथास्थिति, संबंधित निर्धारण प्राधिकारी या ऐसी राज्य सरकार को वापस किए जाएंगे ।";

(ख) उपधारा (3) में, पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु किसी अपील को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से या किसी सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से और संबंधित राज्य सरकार को भी सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।" ।

धारा 23 का संशोधन।

157. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 23 में, "सभी विषयों में" शब्दों के स्थान पर, "सभी विषयों में, जिसमें किसी मांग की वसूली की रोक सम्मिलित है" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

1989 के अधिनियम 13 में नई धारा 46ख और धारा 46ग का अंतःस्थापन।

158. वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 46क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अंतर्देशीय वायु यात्रा कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति।

"46ख. यदि कोई वाहक धारा 42 के उपबंधों के अधीन अपेक्षा किए गए अनुसार उसके द्वारा संगृहीत अंतर्देशीय वायु यात्रा कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी अवधि के जो तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, कठोर कारावास से और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध।

46ग. (1) जहां धारा 46ख के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो, उस समय, जब अपराध कारित किया गया था, कंपनी का सीधे भारसाधक था या कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कंपनी, उस अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होंगेः

परंतु इस उपधारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को उक्त धारा में उपबंधित किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए हुए भी, जहां धारा 46ख के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उनकी ओर से किसी उपेक्षा को अभिनिश्चित करने योग्य है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने या दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है; और

(ख) "निदेशक" से, किसी फर्म की दशा में, फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।'।

1998 के अधिनियम 21 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

159. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, " एक रुपया और पचास पैसे प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

1999 के अधिनियम 27 की दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

160. वित्त अधिनियम 1999 की दूसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, " एक रुपया और पचास पैसे प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2001 के अधिनियम 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

161. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची, तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी और इस प्रकार किए गए संशोधनों का प्रभाव 1 मार्च, 2004 से समाप्त हो जाएगा, सिवाय उन बातों के, जो ऐसे प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति से पूर्व की गई हों या जिनका करने से लोप किया गया हो और साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति पर इस प्रकार लागू होगी मानो इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित किया गया हो । 1897 का 10

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 121, खण्ड 126, खण्ड 127(ख), खण्ड 140, खण्ड 147, खण्ड 149, खण्ड 159, खण्ड 160 और खण्ड 161 के उपबंधों का अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभाव होगा । 1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किंतु 60,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 60,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है	19,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में से,-

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो साठ हजार रुपए से अधिक है, से अधिक साठ हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,-

Website: http://indiabudget.nic.in

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 35 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,-

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से, तकनीकी सेवाएं देने के लिए, प्राप्त फीसें,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्त्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194 खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:-

	आय-कर की दरें
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,-	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,-	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर -	10 प्रतिशत ;
(अ) केंद्रीय या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं	
(vi) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,-	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,-	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(ई) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ए) अन्य संपूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(इ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) अन्य संपूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।
2. कंपनी की दशा में,-	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,-	

	आय-कर की दरें
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,-	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार की बाबत अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है--	
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]-	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किंतु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,-	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किंतु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;
(vii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(viii) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण - इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं ।

आय-कर पर अधिभार

(अ) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(i) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ii) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ; और

(iii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

(आ) इस भाग की मद 2 के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों से कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखख या धारा 115ङ या धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किंतु 60,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 60,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है	19,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में से,--

(i) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, उनसे भिन्न, जो मद (i) में उल्लिखित है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, से अधिक आठ लाख पचास हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,-

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 35 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,-

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए, किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 4

[धारा 2(11)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) को छोड़कर] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में--

(क) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जिसमें निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत अपकेन्द्रित लेटेक्स या सिनेक्स या लेटेक्स आधारित क्रेप (जैसे पीला लेटेक्स क्रेप) या भूरा क्रेप (भू भूरा क्रेप, पुनः मशीन से तैयार क्रेप, धूम आवरित क्रेप, सपाट छाल क्रेप) या तकनीकी रूप से ब्लाक रबड़ के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की आय समझा जाएगा;

(ग) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उगाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय (हिंदू अविभक्त कुटुंब या कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत की बाबत पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी ने इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 1995 (1995 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1997 (1997 का 26) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 119(1)देखिए]

क्रम सं0	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा०का०नि० 465(अ), तारीख 3 मई, 1990 (169/1990-सीमाशुल्क, तारीख 3 मई, 1990)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (???) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— "(?=) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के निबंधनों के अनुसार और उनके समाधान के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की लोक सूचना में इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाएं, निर्यात बाध्यता को पूरा करने की अवधि का विस्तारण मंजूर करता है और अनुज्ञप्तिधारक यूनिटें जनवरी, 2001 मास में गुजरात राज्य में आए भूकंप से प्रभावित हुई हैं वहां निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने की उक्त अवधि, शर्त (???) में किसी बात के होते हुए भी, 31 मार्च, 2002 तक विस्तारित की जा सकेगी और विस्तारित की गई समझी जा सकेगी और किसी भी दशा में 31 मार्च, 2004 से आगे विस्तारित नहीं की जाएगी ।"।	3 मई, 1990
2.	सा०का०नि० 423(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1992 (160/1992-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1992)	उक्त अधिसूचना में शर्त (?=) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— "(=) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, जनवरी, 2001 में गुजरात राज्य में आए भूकंप से प्रभावित किसी अनुज्ञप्तिधारक यूनिट की बाबत ऐसी शर्तों के निबंधनों के अनुसार और उनके समाधान के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की लोक सूचना में इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाएं, निर्यात बाध्यता को पूरा करने की अवधि का विस्तारण मंजूर करता है वहां निर्यात बाध्यता को पूरा करने की संपूर्ण अवधि 31 मार्च, 2002 से अधिक विस्तारित की जा सकेगी किंतु किसी भी दशा में 31 मार्च, 2004 से आगे विस्तारित नहीं की जाएगी ।"।	20 अप्रैल, 1992

Website: http://indiabudget.nic.in

तीसरी अनुसूची

[धारा 120(1) देखिए]

क्रम सं0	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा.का.नि 308(अ), तारीख 31 मार्च, 1995 (79/95 - सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 1995)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (???) की उपशर्त (ख) में, "24%" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 19 सितंबर, 1995 को थी, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	19 सितंबर, 1995
2.	सा.का.नि 309(अ), तारीख 31 मार्च, 1995 (80/95 - सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 1995)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (??) की उपशर्त (ख) में, "24%" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 19 सितंबर, 1995 को थी, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	19 सितंबर, 1995
3.	सा.का.नि 480(अ), तारीख 5 जून, 1995 (110/95 - सीमाशुल्क, तारीख 5 जून, 1995)	उक्त अधिसूचना में,—	
		(?) शर्त (4) और शर्त (5) प्रत्येक में "24%" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 19 सितंबर, 1995 को थी, दोनों स्थानों पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;	19 सितम्बर, 1995
		(??) शर्त (7) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	30 अप्रैल, 2000
		"परंतु यह और कि जहां अनुज्ञापन अधिकारी निर्यात बाध्यता को पूरा किए जाने की अवधि का, इस शर्त में विनिर्दिष्ट की गई अवधि से आगे और विस्तारण मंजूर करता है वहां ऐसी शर्तों के समाधान के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की लोक सूचना में इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी निर्यात बाध्यता विस्तारित की जा सकेगी किन्तु किसी भी दशा में 31 मार्च, 2004 से अधिक विस्तारित नहीं की जाएगी :"।	
4.	सा.का.नि 657(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1995(148/95 - सीमाशुल्क, तारीख 19 सितम्बर, 1995)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (??) में, "चौबीस प्रतिशत" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 19 सितम्बर, 1995 को थी, "पंद्रह प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	19 सितम्बर, 1995
5.	सा.का.नि 658(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1995(149/95 - सीमाशुल्क, तारीख 19 सितम्बर, 1995)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (??) में, "चौबीस प्रतिशत" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 19 सितम्बर, 1995 को थी, "पंद्रह प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	19 सितम्बर, 1995
6.	सा.का.नि 184(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997(28/97 - सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1997)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (3) और शर्त (4), प्रत्येक में, "24%" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 1 अप्रैल, 1997 को थी, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	1 अप्रैल, 1997
7.	सा.का.नि 186(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997(30/97 - सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1997)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (??) में, "चौबीस प्रतिशत" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 1 अप्रैल, 1997 को थी, "पंद्रह प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	1 अप्रैल, 1997
8.	सा.का.नि 187(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997(31/97 - सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1997)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (??) में, "24%" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 1 अप्रैल, 1997 को थी, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	1 अप्रैल, 1997
9.	सा.का.नि 197(अ), तारीख 7 अप्रैल, 1997(34/97 - सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1997)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (=) में, "24%" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 7 अप्रैल, 1997 को थी, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	7 अप्रैल, 1997
10.	सा.का.नि 216(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997(36/97 - सीमाशुल्क, तारीख 11 अप्रैल, 1997)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (3) में, "24%" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 11 अप्रैल, 1997 को थी, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	11 अप्रैल, 1997
11.	सा.का.नि 623(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 1998 (77/98 - सीमाशुल्क, तारीख 16 अक्तूबर, 1998)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (?=) में, "चौबीस प्रतिशत" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 16 अक्तूबर, 1998 को थी, "पंद्रह प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	16 अक्तूबर, 1998

Website: http://indiabudget.nic.in

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	सा.का.नि 299(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1999 (48/99 - सीमाशुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1999)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (??) में, "चौबीस प्रतिशत" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 29 अप्रैल, 1999 को थी, "पंद्रह प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	29 अप्रैल, 1999
13.	सा.का.नि 366(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000(50/2000 - सीमाशुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 2000)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (3) में, "24% " प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 27 अप्रैल, 2000 को थी, "15% " प्रविष्टि रखी जाएगी ।	27 अप्रैल, 2000
14.	सा.का.नि 367(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2000 (51/2000 - सीमाशुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 2000)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (??) में, "चौबीस प्रतिशत" प्रविष्टि के स्थान पर, जैसी यह 27 अप्रैल, 2000 को थी, "पंद्रह प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	27 अप्रैल, 2000

चौथी अनुसूची

[धारा 121(1) और धारा 149(1) देखिए]

मद संख्या	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	चाय और चाय अपशिष्ट	एक रुपया प्रति किलोग्राम

Website: http://indiabudget.nic.in

पांचवीं अनुसूची

(धारा 140 देखिए)

'तीसरी अनुसूची

[धारा 2(च)(iii) देखिए]

1. इस अनुसूची में, "शीर्ष" और "उपशीर्ष" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची का क्रमशः कोई शीर्ष और उपशीर्ष अभिप्रेत है ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची, पहली अनुसूची की धारा और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण के निर्वचन के नियम, इस अनुसूची के निर्वचन के संबंध में लागू होंगे ।

क्रम सं0	शीर्ष सं0 या उपशीर्ष सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	0401.14	सांद्रित (संघनित) दूध, चाहे मधुरित है या नहीं, जो यूनिट आधानों में रखा गया है और जो सामान्यतया विक्रय के लिए आशयित है
2.	1702.21 या 1702.29	अन्य चीनी की निर्मितियां
3.	1702.30	चीनी का शर्बत, जिसमें मिलाए गए सुरूचिकारी या रंगकारी द्रव्य नहीं हैं ; कृत्रिम मधु, चाहे उसमें प्राकृतिक मधु मिश्रित है या नहीं ; कैरेमल
4.	1704.10	गम, चाहे वे चीनी लेपित हों या नहीं (जिनके अंतर्गत चबाने वाले गम, बबलगम और वैसी ही वस्तुएं हैं)
5.	1704.90	सभी माल
6.	18.02	कोको चूर्ण, चाहे उसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरन द्रव्य है या नहीं
7.	18.03	किसी भी रूप में चाकलेट, चाहे उसमें दृढ़ फल, फल की गिरी या फल है या नहीं और जिसके अंतर्गत पेय चाकलेट है
8.	18.04	अन्य खाद्य निर्मितियां जिसमें कोको है
9.	1901.19 या 1901.92	सभी माल
10.	1902.19	सभी माल
11.	1904.10	सभी माल
12.	1905.11	बिस्कुट, जिसके विनिर्माण में या विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया सामान्यतया शक्ति की सहायता से की गई है
13.	1905.31	वैफल और वैफर, चाकलेट से लेपित या जिनमें चाकलेट हो
14.	1905.39	सभी माल
15.	2101.10	काफी के निष्कर्ष, सत और सांद्रों तथा इन निष्कर्षों, सतों और सांद्रों के आधार वाली या काफी की आधार वाली निर्मितियां
16.	2102.10	सभी माल
17.	21.05	आईसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोको मिला है या नहीं
18.	21.06	पान मसाला, केवल दस ग्राम या अधिक के प्रति पैक वाले फुटकर पैकों में, उस मास से भिन्न जिसमें भार में पंद्रह प्रतिशत से अधिक बीटल नट नहीं है और किसी अनुपात में तंबाकू नहीं है
19.	21.07	"सुपारी" के रूप में ज्ञात बीटल नट चूर्ण
20.	2108.20	शर्बत
21.	2108.99	सभी माल
22.	2201.19	सभी माल
23.	2201.20	वातित जल
24.	2202.19	सभी माल
25.	2202.20	वातित जल
26.	22.03	सिरका और एसिटीक अम्ल से अभिप्राप्त सिरका के अनुकल्प
27.	2404.41	खाने का तंबाकू और खाने के तंबाकू की निर्मितियां
28.	2404.49	तंबाकू वाला पान मसाला
29.	2502.21	सफेद सीमेंट, चाहे कृत्रिम रूप से रंगा गया हो या नहीं और चाहे उसमें शीघ्र दृढ़ होने वाले गुण हों या नहीं
30.	2710.90	स्नेहक तेल और स्नेहक निर्मितियां

Website: http://indiabudget.nic.in

(1)	(2)	(3)
31.	3204.30	इस प्रकार के संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद, जिनका उपयोग प्रतिदीप्तिशील प्रभासनक्रमक संदीपकों के रूप में किया जाता है
32.	3206.90	सभी माल
33.	32.08, 32.09 या 32.10	सभी माल
34.	3212.90	रंजक और अन्य रंगकारी द्रव्य जो ऐसे प्ररूपों में या ऐसी छोटी पैकिंगों में हैं जिनका उपयोग घरेलू या प्रयोगशाला के प्रयोजनों के लिए किया जाता है
35.	32.13 या 32.14	सभी माल
36.	33.03, 33.04 या 33.05	सभी माल
37.	3306.10	टूथपेस्ट
38.	33.07	सभी माल
39.	3401.19	सभी माल
40.	3401.20 या 3402.90	सभी माल
41.	3403.10	स्नेहन निर्मितियां
42.	34.05	जूतादि, फर्नीचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पॉलिश और क्रीम, अभिमार्जन पेस्ट और चूर्ण और वैसी ही निर्मितियां (चाहे वे ऐसे कागज, वैडिंग, नमदा, अव्यूतित सामग्री, सेलूलर प्लास्टिक या सेलूलर रबड़ के रूप में हैं या नहीं जो ऐसी निर्मितियों से संसेचित, विलेपित या आच्छादित है,) जिसके अंतर्गत शीर्ष 34 .04 का मोम नहीं है
43.	35.06	निर्मित सरेस और अन्य निर्मित आसंजक जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है
44.	3702.90	सभी माल
45.	3808.10	सभी माल
46.	3808.90	विसंक्रामक और उसी प्रकार के पदार्थ
47.	38.14	अपसारक
48.	38.19	द्रव चालित संचारण के लिए द्रव चालित ब्रेक तरल और अन्य निर्मित तरल, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से प्राप्त पेट्रोलियम तेल नहीं है या भार के आधार पर 70% से कम है ।
49.	38.20	हिमीकरण रोधी निर्मितियां और निर्मित विहिमन तरल
50.	3824.90	फुटकर विक्रय के लिए पैकेटों में रखे गए इंक रिमूवर, स्टेंसिल शुद्धक और अन्य शुद्धिकारक तरल
51.	39.19	स्वतः आसंजक प्रकार के प्लास्टिक
52.	3923.10 या 3924.10	उष्मारोधी बर्तन
53.	48.16	कार्बन कागज, स्वतः प्रतिलिपि कागज, कागज की अनुलिपित्र स्टेंसिल
54.	4818.90	कागज की लुगदी, कागज, सेल्यूलोज वेडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल स्वच्छता या फेसियल उत्तक, रूमाल और तौलिए
55.	64.01	जूतादि
56.	6501.10	सुरक्षात्मक सिर के पहनावे
57.	6905.10	कांचावनित टाइलें, चाहे पॉलिश किए हुए हों या नहीं
58.	6906.10	कांचित टाइल
59.	7321.10	पाक साधित्र और प्लेट ऊष्माथिभ
60.	7323.10	प्रेशर कुकर
61.	73.24	लोहे या इस्पात के स्वच्छता सामान
62.	7418.90	तांबे के स्वच्छता सामान
63.	7615.20	प्रेशर कुकर
64.	82.12	रेजर और रेजर ब्लेड (जिसके अंतर्गत रेजर ब्लेड ब्लैंक, पट्टियों में है)
65.	83.05	आधार धातु के पट्टियों में स्टेपल, कागज क्लिपें
66.	8414.40	विद्युत पंखे
67.	84.15	तीन टन तक की क्षमता के विंडो वातानुकूलन मशीनें और पृथकनीय वातानुकूलन मशीनें
68.	8418.10	प्रशीतित्र,
69.	8421.10	घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले किस्म के जल फिलटरन और जल शोधक
70.	8422.10	व्यंजन पात्र धोवन मशीनें

(1)	(2)	(3)
71.	8450.10	घरेलू या लांडरी प्ररूपी धोवन मशीनें, जिनके अंतर्गत ऐसी मशीनें भी हैं जो धोवन और शुष्कन, दोनों, कार्य करती हैं
72.	8469.90	टाइपराईटर
73.	84.70	परिकलन मशीनें और जेबी आकार डाटा अभिलेखन, प्रतिकृति तथा परिकलन कार्यों सहित प्रदर्श मशीनें
74.	84.72	स्टेपिल मशीनें
75.	85.06	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां
76.	85.09	विद्युत यांत्रिक घरेलू साधित्र, स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर सहित
77.	85.10	शेवर, केशप्रकर्तित्र और केश हटाने वाले उपक्रम, पूर्ण विद्युत मोटर सहित
78.	85.13	सुबाह्य विद्युत लैंप, जो अपने ही ऊर्जा स्रोत (उदाहरणार्थ, शुष्क बैटरियां, संचायक, मैगनेटों) से कार्य करने के लिए अभिकल्पित हैं, शीर्ष सं0 85.12 के प्रकाश उपस्करों से भिन्न
79.	85.16	विद्युत तात्क्षणिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जन तापित्र; विद्युत स्पेस तापन उपकरण और विद्युत मृदा तापन उपकरण; विद्युत-तापीय केश प्रसाधन उपकरण (उदाहरणार्थ, केश शुष्कित्र, केश वलनित्र, वलन टांग तापित्र) और हस्त शुष्कित्र; विद्युत मस्त्रण इस्त्री; इस प्रकार के अन्य विद्युत तापित्र जिनका उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है
80.	85.17	बिना तार के हैंडसेट वाले टेलीफोन सहित टेलीफोन सेट; वीडियो फोन; प्रतिकृति मशीनें
81.	85.19 या 85.20	सभी माल
82.	85.21	सभी माल
83.	8523.12	अनअभिलिखित आडियो कैसेट
84.	8523.14	वीडियो कैसेट
85.	8523.20	चुंबकीय डिस्क
86.	8524.34	वीडियो कैसेट
87.	8524.40	चुंबकीय डिस्क
88.	85.25	पेजर, सेलुलर या मोबाइल फोन
89.	8527.10	रेडियो सेट जिनके अंतर्गत ट्रांजिस्टर सेट है, जिनमें रेडियो सिग्नल अभिग्रहण करने की और उन्हें श्रव्य उत्पत्ति में संपरिवर्तन करने की सुविधा है किन्तु उनमें ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन अथवा एक ही कक्षिका में या उससे संलग्न घड़ी जैसी कोई अन्य अतिरिक्त सुविधा नहीं है
90.	8527.90	रेडियो प्रसारण के लिए अभिग्रहण साधित्र, चाहे एक ही कक्षिका में ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण या कोई घड़ी संयुक्त है या नहीं
91.	85.28	टेलीविजन ग्राही (जिसके अंतर्गत वीडियो मानिटर और वीडियो प्रक्षेपित्र है), मोनोक्रोम सो भिन्न, चाहे उनमें रेडियो प्रसारण ग्राही या ध्वनि अथवा वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण लगे हों या नहीं
92.	85.36	सभी माल
93.	85.39	विद्युत फिलामेंट या विसर्जन लैंप, जिनके अंतर्गत मुहरबंद किरण पुंज लैंप यूनिट और पराबैंगनी या अवरक्त लैंप हैं ; आर्क लैंप
94.	90.06	फोटोचित्र कैमरे (चलचित्र कैमरे से भिन्न)
95.	9101.90 या 9102.90	घड़ियां
96.	9103.90 या 9105.90	दीवाल घड़िया
97.	96.12	सभी माल
98.	96.17	निर्वात-फ्लास्क ’।

छठी अनुसूची

[धारा 141(1) और धारा 142(1) देखिए]

क्रम सं0	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम,1944 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 324(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 [14/96, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 23 जुलाई, 1996] द्वारा यथा प्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द का उपनियम (5)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(5) पूंजी माल की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क का प्रत्यय, पूंजी माल के मूल्य के उस भाग की बाबत अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो ऐसे माल पर शुल्क की रकम के लिए है, जिसका विनिर्माता आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अधीन अवक्षयण के रूप में दावा करता है ।" ।	23 जुलाई, 1996
2.	अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 1997 [6/97, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 1997] द्वारा यथा अंतःस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द का उपनियम (8)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द के उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(8) पूंजी माल की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क का प्रत्यय पूंजी माल के मूल्य के उस भाग की बाबत अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो ऐसे माल पर शुल्क की रकम के लिए है, जिसका विनिर्माता आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अधीन अवक्षयण के रूप में दावा करता है ।" ।	1 मार्च, 1997
3.	अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 1997 [6/97, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 1997] द्वारा यथा प्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57च का उपनियम (12)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57च के उपनियम (12) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] और 33/99- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय का उपयोग केवल उक्त अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर शुल्क के संदाय के लिए ही किया जाएगा ।"।	8 जुलाई, 1999
4.	अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 203(अ), तारीख 1 मार्च, 1997 [11/2000, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2000] द्वारा यथाप्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कख के उपनियम (1) का खंड (ख)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कख के उपनियम (1) के खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क के केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का उपयोग केवल उक्त अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर शुल्क के संदाय के लिए ही किया जाएगा ।"।	1 अप्रैल, 2000

Website: http://indiabudget.nic.in

सातवीं अनुसूची

[धारा 143(1) देखिए]

केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 [31/2002, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 21 जून, 2001] द्वारा प्रकाशित किए गए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 3 का उपनियम (3)	केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 3 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क के केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का उपयोग केवल उक्त अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर शुल्क के संदाय के लिए ही किया जाएगा ।"।	1 जुलाई, 2001

Website: http://indiabudget.nic.in

आठवीं अनुसूची

[धारा 145(1) देखिए]

क्रम सं0	अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/1999-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999]	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु ऐसा प्रतिदाय, इस अधिसूचना के अधीन निकासी किए गए माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त शुल्क की बाबत उपभोग किए गए केंद्रीय मूल्य-वर्धित कर प्रत्यय की रकम घटाकर संदत्त शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा ।"।	8 जुलाई, 1999
2.	सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/1999-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999]	उक्त अधिसूचना में दूसरे पैरा के खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु ऐसा प्रतिदाय इस अधिसूचना के अधीन निकासी किए गए माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त शुल्क की बाबत उपभोग किए गए केंद्रीय मूल्य-वर्धित कर प्रत्यय की रकम घटाकर संदत्त शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा ।"।	8 जुलाई, 1999

Website: http://indiabudget.nic.in

नौवीं अनुसूची

[धारा 142(1) देखिए]

क्रम सं0	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 (32/99-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999)	उक्त अधिसूचना में,--	8 जुलाई, 1999
		(?) प्रारंभिक पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—	
		"परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—	
		(क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1986 (1985 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 24 या दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल; और	
		(ख) उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के उपशीर्ष सं0 2106.00 या 2404.49 के अंतर्गत आने वाला तंबाकू युक्त पान मसाला ;";	
		(??) खंड (?) द्वारा यथा अंतःस्थापित परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—	1 मार्च, 2001
		"परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले माल को लागू नहीं होगी । ";	
		(???) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	12 फरवरी, 2002
		"परंतु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट,—	
		(1) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ; या	
		(2) बोंगई गांव रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल लिमिटेड ; या	
		(3) इंडियन आयल कारपोरेशन, गुवाहाटी ; या	
		(4) असम तेल प्रभाग, इंडियन आयल कारपोरेशन, डिगबोई,	
		से विनिर्मित और निकासी किए गए माल को लागू नहीं होगी ।" ।	
2.	सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 (33/99-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999)	उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैरा में:—	8 जुलाई, 1999
		(?) निम्नलिखित परंतुक अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—	
		"परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—	
		(क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 24 या दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल ; और	
		(ख) उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के उपशीर्ष सं0 2106.00 या 2404.49 के अंतर्गत आने वाला तंबाकू युक्त पान मसाला ; ";	
		(??) खंड (?) द्वारा यथा अंतःस्थापित परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—	1 मार्च, 2001
		"परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट अध्याय 24 के अंतर्गत आने-वाले माल को लागू नहीं होगी । "।	

Website: http://indiabudget.nic.in

दसवीं अनुसूची

[धारा 147(क) देखिए]

भाग 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 11 में, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'3. शीर्ष सं0 11.03 के उत्पादों के संबंध में, आधानों पर लेबल लगाने या पुनर्लेबल लगाने और पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनर्पैकिंग करने या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए कोई अन्य कार्य करना "विनिर्माण" करना होगा ।';

(2) अध्याय 15 में,—

(?) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'4. उपशीर्ष सं0 1502.00, 1503.00, 1504.00 और 1508.90 के उत्पादों के संबंध में, आधानों पर लेबल लगाने या पुनर्लेबल लगाने और पुंज पैकेटों से फुटकर पैकेटों में पुनर्पैकिंग करने या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए कोई अन्य कार्य करना "विनिर्माण" करना होगा ।';

(??) उपशीर्ष सं0 1502.00, 1503.00, 1504.00 और 1508.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर,"8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 25 में,—

(?) उपशीर्ष सं0 2502.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "250 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(??) उपशीर्ष सं0 2502.29 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "400 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 36 में, उपशीर्ष सं0 3605.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 59 में, उपशीर्ष सं0 5906.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 73 में, टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'5. शीर्ष सं0 73.04 और 73.05 के पाइपों के संबंध में, सीमेंट या पौलीथिलीन या अन्य प्लास्टिक सामग्रियों से लेपित करने की प्रक्रिया "विनिर्माण" होगा ।';

(7) अध्याय 87 में उपशीर्ष सं0 8706.29, 8706.42 और 8706.49 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16% **धन** दस हजार रुपए प्रति चेसिस" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

भाग 2

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 27 में, उपशीर्ष सं0 2710.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

शीर्ष सं0	उपशीर्ष सं0	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
		"-अन्य :	
	2710.91	--उत्कृष्ट कैरोसीन तेल	16%
	2710.92	--विमानन टर्बाइन ईंधन	16%
	2710.93	--उच्च गति डीजल	16%
	2710.94	--हल्का डीजल तेल	16% **धन** 1.50 रुपए प्रति लीटर
	2710.95	--स्नेहक तेल	16%
	2710.99	--अन्य	16% ।"।

Website: http://indiabudget.nic.in

ग्यारहवीं अनुसूची

[धारा 147(ख) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उपशीर्ष सं0 2108.10, 2201.20, 2202.20, 4011.90, 4012.11, 4012.19, 4012.90, 4013.90, 5402.20, 5402.32, 5402.42, 5402.43, 5402.52, 5402.62, 8415.00, 8702.10, 8703.90, 8704.90, 8706.21, 8706.39 और 8706.49 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

Website: http://indiabudget.nic.in

बारहवीं अनुसूची

[धारा 152(1) देखिए]

क्रम सं0	अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा.का.नि 639(अ), तारीख 5 नवम्बर, 1997 [43/97-सेवा-कर] तारीख 5 नवम्बर, 1997	उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में,— (क) खंड (?) और (??) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— "(?) राज्य सरकार या विकास आयुक्त के पास लघु उद्योग के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी कारखाने से भिन्न कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या उसके द्वारा शासित कोई कारखाना ; (??) ऐसी कंपनी, जो एकमात्र और अनन्य रूप से व्यापारी कंपनी है, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में भी रजिस्ट्रीकृत है, से भिन्न कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई कंपनी ;"; (ख) खंड (v???) का लोप किया जाएगा ।	16 नवम्बर, 1997

Website: http://indiabudget.nic.in

तेरहवीं अनुसूची

[धारा 126(1) और धारा 161 देखिए]

वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की सातवीं अनुसूची में, शीर्ष सं0 24.04, और उसके उपशीर्ष सं0 2404.99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष सं0, उपशीर्ष सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

शीर्ष सं0	उपशीर्ष सं0	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"27.09	2709.00	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से प्राप्त तेल, कच्चा	50 रुपए प्रति टन
54.02	5402.20	-उच्च तीक्ष्णता वाला पालिएस्टर सूत	1%
	5402.32	--पालिएस्टर का	1%
	5402.42	--पालिएस्टर का, भागतः उन्मुख	1%
	5402.43	--पालिएस्टर का, अन्य	1%
	5402.52	--पालिएस्टर का	1%
	5402.62	--पालिएस्टर का	1%
87.02	8702.10	-मोटर यान, जो मुख्य रूप से चालक को छोड़कर छह से अधिक किंतु बारह से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिसके अंतर्गत स्टेशन वैगन भी है	1%
87.03	8703.90	-अन्य	1%
87.04	8704.90	-अन्य	1%
87.06	8706.21	--उपशीर्ष सं0 8702.10 के यानों के लिए	1%
	8706.39	--उपशीर्ष सं0 8703.90 के यानों के लिए	1%
	8706.49	--उपशीर्ष सं0 8704.30 या 8704.90 के यानों के लिए	1%
87.11	8711.10	--75 घन सेंटीमीटर से अनधिक की इंजन क्षमता वाले दुपहिया मोटर यान	1%
	8711.20	--75 घन सेंटीमीटर से अधिक की इंजन क्षमता वाले दुपहिया मोटर यान	1% ।"।

Website: http://indiabudget.nic.in

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। विधेयक के विभिन्न उपबंधों को खंडों पर टिप्पण में स्पष्ट किया गया है।

नई दिल्ली,
28 फरवरी, 2003

जसवन्त सिंह

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री श्री जसवन्त सिंह के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 28 फरवरी, 2003 के पत्र सं० फा० 2(6)-बी०(डी०)/2003 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अधीन, वित्त विधेयक, 2003 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 28 फरवरी, 2003 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।

Website: http://indiabudget.nic.in